

निबंध संग्रह

निबंध लेखन - परिचय

निबंध-लेखन कला

गद्य की विधाओं में निबंध-रचना एक मुख्य विधा है। निबंध गद्य-रचना का उत्कृष्ट उदाहरण है। अनुभव तथा ज्ञान का कोई भी क्षेत्र निबंध का विषय बन सकता है। जैसे - गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, होली, दिपावली, मेरा प्रिय कवि आदि।

निबंध लिखने के लिए लेखक के विषय का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। विषय के प्रति अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए निबंध की भाषा का प्रभावशाली होना अत्यंत आवश्यक है। अच्छे निबंध के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है -

1. निबंध के द्वारा लेखक अपने विचारों को ठीक से प्रस्तुत करता है।
2. इसमें स्पष्टता और सजीवता होनी चाहिए।
3. भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण होती है, साथ ही फैलाव के लिए मुहावरों, लोकोक्तियों व उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है।
4. इसमें भूमिका व निष्कर्ष देना ज़रूरी है।

निबंध के अंग

निबंध के मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन अंग होते हैं -

1. प्रस्तावना (भूमिका) - प्रस्तावना या भूमिका निबंध के प्रति पाठक के मन में रूचि पैदा करती है। यह अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए।
2. विषयवस्तु (विवेचना) - यह निबंध का प्रमुख अंग है। इसमें विषय संबंधी बातों पर चर्चा की जाती है।
3. उपसंहार - यह निबंध का अंतिम अंग है। इसमें निबंध में कही गई बातों को सार-रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

15 अगस्त

भारत के राष्ट्रीय पर्वों में '15 अगस्त' को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक राष्ट्र के निर्माण में देश के नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश के नागरिक ही देश को एकता और अखण्डता के सूत्र में पिरोते हैं। भारत बहुत लंबे समय तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा है। गुलामी की बेड़ियों को काटने

में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि ये आवाज़ नहीं उठाते, तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। उनके बलिदानों और योगदानों के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त, 1947 के दिन भारत गुलामी के बंधनों से आज़ाद हुआ।

इस दिन को पूरे भारत में उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। सरकारी इमारतों को सजाया-संवारा जाता है। पूरे देश के राज्यों और उनकी राजधानियों में उत्साह देखते ही बनता है। इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। भारत की राजधानी होने के कारण 'दिल्ली' में तो इसकी शोभा अतुलनीय होती है। राष्ट्रपति द्वारा टी.वी. पर राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाता है। लालकिले का इस दिन विशेष महत्व होता है।

सुबह सवेरे प्रधानमंत्री लालकिले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' फहराते हैं। देश के राष्ट्रीय गान के मधुर स्वर के साथ तोपों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाती है। ये सलामी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए भाषण देते हैं। लालकिले में विशाल जनसमूह एकत्र होता है। प्रधानमंत्री सरकार द्वारा प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा इस अवसर पर करते हैं। यह दृश्य मन को आनंदित करने वाला होता है। चारों तरफ जन सैलाब देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है।

पूरे देश के विद्यालयों में इस दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। विद्यालय में आज़ादी से ओत-प्रोत कविताओं और भाषणों पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। बच्चे एकत्र होकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। इस दिन पूरे देश में पंतगों को बड़े उत्साह से उड़ाया जाता है। आकाश में हर तरफ रंग-बिरंगी पतंगें दिखाई देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा देश स्वतंत्रता पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हो। कई स्थानों पर पंतग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। हर धर्म के लोग पंतगबाजी का आनंद लेते हैं।

यह दिवस हमें यह सीख देता है कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा और स्वतंत्रता के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। जिस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलाई है, उसी तरह हमें इसकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपने देश की एकता और अखण्डता को तोड़ने वाले देशद्रोहियों और दुश्मनों को मुँहतोड़ जवाब देना चाहिए।

26 जनवरी

भारत ऐसा देश है, जिसमें हर धर्म से जुड़े त्योहारों को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार देश की एकता और अखण्डता के प्रतीक हैं। हमारे देश में जितना महत्व धार्मिक त्योहारों को दिया जाता है, उतना ही महत्व राष्ट्रीय त्योहारों को भी दिया जाता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है, 26 जनवरी। यह दिन राष्ट्रीय त्योहारों में विशेष महत्व रखता है। 26 जनवरी को 'गणतंत्र दिवस' के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान सन 1950 में लागू हुआ था।

यह दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1930 को इसी दिन 'जवाहर लाल नेहरू' ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज लेने की कसम खाई थी। गुलाम भारत में इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर 'राजेंद्र प्रसाद' ने स्वतंत्र भारत में

इसी दिन अपना कार्यभार संभाला था। वैसे तो पूरे भारत में 26 जनवरी को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन भारत की राजधानी 'दिल्ली' में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। राष्ट्रपति भवन को बिजली के असंख्यों बल्बों से सजाया जाता है। सरकारी भवनों पर रंग-रोगन किया जाता है। विशेष तौर पर इंडिया गेट की सड़कों और उद्यानों का जीर्णोद्धार किया जाता है।

इस दिन राष्ट्रपति शाही सवारी पर सवार होकर इंडिया गेट जाते हैं और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। विजय चौक पर हमारे देश के प्रधानमंत्री तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। इस अवसर पर विजय चौक में विशाल जनसमूह समारोह को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। राष्ट्रपति सर्वप्रथम सेना के वीर सैनिकों को उनकी प्रभावशाली सेवा के लिए विभिन्न पदकों से सम्मानित करते हैं।

उसके पश्चात प्रत्येक सेना द्वारा अपने शस्त्रों और अस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है। सेना के जवानों के प्रदर्शन को देखकर मन प्रसन्नता से भर जाता है। अगला पड़ाव सभी राज्यों द्वारा अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली झाँकियों का होता है। इन झाँकियों की रूप, रंग और शोभा देखते ही बनती है। इसके पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विभिन्न राज्यों के लोकनृत्य भी होते हैं। देश के साहसी बच्चों का समूह भी इस परेड में शामिल होता है, जिनका स्वागत पूरा देश करता है। बाईक

सवारों द्वारा बाईक का विशाल पिरामिड बनाया जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। अन्त में लड़ाकू विमानों द्वारा आकाश में रंगों के माध्यम से तिरंगा फहराया जाता है।

इस दिन रात में राष्ट्रपति भवन में रोशनी का जादू देखा जा सकता है। पूरा राष्ट्रपति निवास बिजली के अनगिनत बल्बों से जगमगा उठता है। यह दिवस हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों का स्मरण करवाता है, जिनके अमूल्य योगदान से हमें स्वतंत्र भारत मिला। यह राष्ट्रीय पर्व हमें देश के प्रति कुछ कर गुजरने का संदेश देता है।

अतिथी देवो भव

'भारत' संस्कृति और परंपराओं का देश है। यहाँ लोग परंपराओं का विशेष आदर करते हैं। यह परंपराएँ हमारी जड़ें हैं, जो हमें हमारी संस्कृति और देश से बाँधे हुए है। हमारे देश में अतिथि का विशेष सम्मान किया जाता रहा है। कुछ भी हो जाए परन्तु घर आए अतिथि को बिना भोजन किए भेज देना, उचित नहीं माना जाता है। अतिथि को भगवान के समान पूजनीय समझा जाता है। घर का सदस्य भूखा रह जाए परन्तु अतिथि भूखा नहीं रहना चाहिए। भारत की यह परंपरा आज भी वैसी ही जीवित है। उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य आया है परन्तु वह अब भी विद्यमान है। यदि कोई अतिथि घर में आता है, तो उसे बहुत प्रेम से खिलाया-पिलाया जाता है। यह हमारे रक्त में रचा-बसा है।

यदि अतिथि नाराज़ हुआ, तो समझो देवता नाराज़ हो गए हैं। इस अतिथ्यभाव के लिए अनेकों कथाएँ विद्यमान हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक परम दानी राजा रंतिदेव थे। एक बार इन्द्र के कोप के कारण उन्हें परिवार सहित जंगल में क्षरण लेनी पड़ी। दो वक्त की रोटी भी उनके लिए जुटाना कठिन हो गया था। 48 दिनों तक उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। 48वें दिन उन्हें थोड़ा-सा पानी और भोजन प्राप्त हुआ। वह अपने परिवार के साथ उस भोजन को करने बैठे ही थे कि उनके घर में एक बाह्यण आ पहुँचा।

राजा ने अपने घर आए अतिथि को भूखा जान, उसे थोड़ा-सा भोजन दे दिया। वह फिर भोजन करने बैठे थे कि तभी उनके द्वार में एक चांडाल अपने कुत्तों के साथ आ पहुँचा। वह और उसके कुत्ते भूखे और प्यासे थे। अपने द्वार पर आए अतिथि को राजा ने कष्ट में देखा और उसे बाकी बचा सारा भोजन और पानी दे दिया। यह हमारे संस्कृति में रचा-बसा है। स्वयं के लिए हो या न हो अतिथि के लिए अवश्य होना चाहिए।

मुम्बई का ताज होटल हमारे अतिथ्यभाव का ज्वलंत उदाहरण है। वहाँ के कर्मचारियों ने आंतकवादी हमले के समय होटल से भागने के स्थान पर देश में आए अतिथियों की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य माना। कई कर्मचारियों ने सिर्फ अपने प्राण इसलिए गंवा दिए क्योंकि वे अपने देश में आए अतिथियों की रक्षा और सेवा को अपना धर्म मानते थे। उनके इस साहसिक कार्य ने पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा दिया। हमने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय आज भी अतिथि को देवता के समान मानते हैं। यह हमारे संस्कारों में घुला हुआ है। हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएँ परन्तु अपने रक्त में घुले इन संस्कारों को इतनी जल्दी मिटाना संभव नहीं है और हमारे ऋषि-मुनियों की कही बात हम सदा कहते रहे हैं और सदा कहते रहेंगे- अतिथि देवो भवः

ऋतुओं का देश भारत

भारत ऋतुओं का देश कहा जाता है। हमारे देश में अनेक ऋतुएँ होती हैं। जितनी ऋतुएँ भारत में हैं उतनी किसी अन्य देश में नहीं है। भारत में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु व वसंत ऋतु मिलाकर कुल छः ऋतुएँ होती हैं। इन ऋतुओं का समय दो-दो महीने का होता है। हिन्दी तिथि के अनुसार वैशाख व जेठ का महीना ग्रीष्म ऋतु का कहलाता है, वर्षा ऋतु का आषाढ़ व सावन का महीना होता है, शरद ऋतु का भाद्र व आश्विन का महीना होता है, हेमंत का कार्तिक व अगहन, पूस व माघ का शिशिर का महीना होता है और फाल्गुन व चैत्र का महीना वसंत ऋतु का माना जाता है।

ग्रीष्म ऋतु अपने नाम के अनुसार गर्म व तपन से भरी मानी जाती है। इस ऋतु में रातें छोटी व दिन लम्बे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मौसमी फलों; जैसे- जामुन, शहतुत, आम, खरबूजे, तरबूज आदि फलों की बहार आई होती है। अत्यधिक गरमी के कारण लोग परेशान व बेहाल हो जाते हैं। लोग इस समय नींबू पानी, लस्सी और बेलपथरी का रस पीकर गरमी को दूर भागने का प्रयास करते हैं।

ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते-होते वर्षा ऋतु अपनी बौछारों के साथ प्रवेश करती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस ऋतु का महत्व अधिक देखने को मिलता है क्योंकि गरमी से बेहाल लोग इस ऋतु में आराम पाते हैं। वर्षा कि बौछार तपती धरती को शीतलता प्रदान करती है। जहाँ एक ओर लोगों के लिए यह मस्ती से भरी होती है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए बुआई का अवसर लाती है। चावलों की खेती के लिए तो यह उपयुक्त मानी जाती है। यह ऋतु प्रेम व रस की अभिव्यक्ति के लिए अच्छी मानी जाती है। इसे ऋतुओं की रानी कहा जाता है।

वर्षा ऋतु के समाप्त होते-होते शरद ऋतु अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देती है। वातावरण में ठंडापन आने लगता है। इसमें करवाचौथ, नवरात्र, दुर्गा-पूजा, दशहरा व दीपावली आदि त्यौहारों का ताँता लग जाता है। इस ऋतु में दिन छोटे होने लगते हैं। शरद के तुरंत बाद हेमंत ऋतु अपना रूप दिखाना आरंभ करती है। सरदी बढ़ने लगती है। दिन और छोटे होने लगते हैं।

हेमंत के समाप्त होते-होते शिशिर ऋतु का प्रकोप आरंभ हो जाता है। कड़ाके कि ठंड पड़ने लगती है। लोगों का सुबह-सवेरे काम पर निकलना कठिन होने लगता है। अत्यधिक ठंड से व कोहरे से जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने लगता है। इस ऋतु में धनिया, मेथी, पालक, मटर, गाजर, बैंगन, गोभी, मूली, सेब, अंगूर, अमरूद, संतरे इत्यादि सब्जियों व फलों की बहार आ जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऋतु उत्तम होती है क्योंकि इस ऋतु में पाचन शक्ति मजबूत होती है। इस ऋतु के आगमन के साथ दिन बड़े व रातें छोटी हो जाती हैं। धूप का असली मज़ा इसी ऋतु में लिया जा सकता है। गर्म चाय के साथ रजाई में बैठकर इस ऋतु का आनंद लेने का अपना ही आनंद है।

शिशिर ऋतु के जाते ही सबके दरवाजों पर वसंत ऋतु दस्तक देने लगती है। इस ऋतु से वातारण मोहक व रमणीय बन जाता है। यह ऋतु रसिकों की ऋतु कहलाती है। प्राकृतिक की आभा इसी ऋतु में अपने चरम सौंदर्य पर देखी जा सकती है। चारों तरफ फल व फूलों की बहार देखते ही बनती है। यह ऋतु हर जन-मानस का मन हर लेती है। इसकी ऋतु की सुंदरता के कारण ही इस ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है।

एकता हर देश की ख्वाहिश होती है

देश में यदि एकता कायम रहे, तो उसकी आधी समस्याएँ यूर्हीं समाप्त हो जाएगी। एकता की शक्ति मजबूत दीवार के समान है, जिससे टकराकर विरोधी धराशाही हो जाते हैं। एकता बंद मुट्टी है, जो अपने वार से अच्छे-अच्छे वीरों को धूल चटा देती है। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत देश में विभिन्न जातियाँ व धर्म विद्यमान हैं। इन सबकी संस्कृति, रहन-सहन व पूजा करने का ढंग अलग-अलग है। ये सब भारत के कीमती मोतियों के समान हैं।

इन मोतियों को एकता का धागा बाँधे हुए है। एक ऐसा भी समय आया था, जब भारत ने देश, धर्म व जाति के नाम पर दंगों व टकरावों के घाव खाए थे। उससे उभरने में उसे सालों निकल गए। प्राचीन भारत में जाति-पाति के नाम पर छुआछूत ने समाज में अपनी गहरी जड़ें जमा दी थीं। मध्यकालीन भारत में मुगलों के समय भारत हिन्दू व मुस्लिम दो वर्गों में विभक्त हो गया था।

इसके पश्चात अंग्रेजों के क्रूर शासन ने भारत को तीन वर्गों हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई में विभक्त कर दिया। जातियों को लेकर भेदभाव ने पहले ही इसे विभाजित किया हुआ था परन्तु आज़ादी के बाद रही सही कसर अंग्रेजों ने पूरी की। सारा भारत टकराव व दगों की आग में जलता रहा। आज के भारत को इस टकराव को समाप्त करने में वर्षों लग गए हैं। वह जान गया है कि देश में कितनी ही जातियाँ या धर्म विद्यमान हों, इनके बीच टकराव देश में अशान्ति के कारण बनते हैं। आज जो भारत है, उसने एकता के मंत्र को पहचाना है।

वह इस बात से परिचित हो गया है कि यदि एक होकर नहीं रहेगा, तो विकास के रास्ते पर चल नहीं सकता। कोई-न-कोई इस टकराव का फ़ायदा उठा ले जाएगा। जिस प्रकार 4-5 लकड़ियों को साथ मिलाने पर कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार एकता के सूत्र में बंधे देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।

मुम्बई के ताज होटल में हुए हमले के समय देश के मुस्लिम वर्ग ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की थी। उनके इस कदम ने यह सिद्ध कर दिया कि अब देश में हिन्दु और मुस्लिमान दोनों ही एक तरह से सोचने लगे हैं।

वे अमन चाहते हैं। धर्म में नाम पर लड़कर मरना नहीं चाहते। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के बावरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के फैसले के समय पर दंगे की जो संभावना की गई थी, स्थिति बिलकुल उसके विपरीत निकली। दोनों पक्ष इस फैसले से चाहे अप्रसन्न रहे हों परन्तु दंगे की स्थिति नहीं बनी, जैसे पहले हुआ करती थी। बड़े शांत तरह से इस फैसले को लिया गया।

इस बात से हमें यही पता चलता है कि देश अब धर्म के नाम पर होने वाली लड़ाई से थक चुका है। उसे समझ आ गया है, इन झगड़ों में हम अपने ही खोते हैं, दोनों पक्षों को दर्द होता है। इस लड़ाई में दुख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। एक देश के विकास के लिए यह सही नहीं है। उन्होंने एकता में बंधकर रहना देश और अपने हित में माना है।

इस एकता ने भारत को नई ऊँचाइयों से जोड़ दिया है। उसके लिए विकास के हज़ारों नए रास्ते खुल गए हैं। यही एकता के मंत्र का चमत्कार है। इसलिए एकता हर देश की ख्वाहिश होती है। हर देश यही चाहता है कि वह प्रगति करे। उसके देश में शान्ति व प्रेमभाव बना रहे। यह तभी संभव होता है, जब देश का प्रत्येक नागरिक एक दूसरे का हाथ से हाथ बांधकर साथ देता है। वे सब मिलकर एकता का ऐसा मज़बूत धागा तैयार करते हैं, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ख्वाहिशें भी तभी रंग लाती हैं, जब कोशिशें कामयाब होती हैं। हम सब की कोशिशों ने हमारे देश को लोकतंत्र और मज़बूत एकता से युक्त देश माना है।

कंप्यूटर उसके लाभ और हानियाँ

पुराने समय में मनुष्यों के पास किसी भी जानकारी को जुटाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं था। मनुष्य हमेशा से जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। उसके मस्तिष्क में सदैव हर नई वस्तु, जगह या अन्य किसी चीज़ के विषय में जानने की तीव्र इच्छा रही है। इसके लिए वह प्रयत्नशील भी रहा है परन्तु तब किसी विषय की जानकारी कुछ लोगों तक ही सीमित रहती थी। आरंभ में उसने अपनी इन खोजों व महत्वपूर्ण जानकारियों को ताड़ के पत्तों और विकास के बाद कागज़ों में सहेज़कर रखना प्रारंभ कर दिया। परन्तु समय के साथ धीरे-धीरे ये जानकारियाँ नष्ट हो जाती थीं और कुछ समय पश्चात् इनका अस्तित्व ही नहीं मिल पाता था।

इन्हीं सब परेशानियों को देखकर मनुष्य को आवश्यकता पड़ी कि किसी तरह इन जानकारियों का भंडारण किया जा सके और ये जानकारियाँ सभी मनुष्यों को चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों, सुलभता से उपलब्ध कराई जा सके। उसके इस सपने को साकार रूप तब प्राप्त हुआ, जब उसके द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। उसके इस आविष्कार ने जहाँ एक ओर उसके कार्य को सरल व प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं दूसरी ओर समस्त दुनिया को एक करने में भी अपना योगदान दिया।

मनुष्य द्वारा कंप्यूटर की खोज (निर्माण) ने एक नई क्रांति को जन्म दिया। इस खोज के माध्यम से उसने अपने असाध्य कार्यों को आसान बना दिया। ई-मेल की खोज ने तो इस आविष्कार में सोने पर सुहागा का काम किया। अब कंप्यूटर के माध्यम से उसने सर्वप्रथम अपनी खोजों, जानकारियों और आविष्कारों आदि को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। कंप्यूटर में जानकारियों को एकत्रित करने से उनके नष्ट होने का भय जाता रहा। उनका संरक्षण करना अब आसान हो गया। अब मनुष्य को आवश्यकता पड़ी इन सभी तरह की जानकारियों को समस्त संसार में प्रसारित करने की ताकि हर मनुष्य को उसकी ज़रूरत के हिसाब से जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा सके। ई-मेल के आविष्कार ने इस समस्या का समाधान कर दिया।

जब कंप्यूटर का निर्माण नहीं हुआ था, तो मनुष्यों को अपने कार्यों को करने के लिए बड़ी जटिलता से गुजरना पड़ता था। उससे पहले वह अपने पत्र व अन्य कार्यों को टाइपराइटर के माध्यम से करवाया करता था। इससे उसका बहुत समय नष्ट हो जाता था। समाचार-पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं आदि क्षेत्रों में तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था परन्तु कंप्यूटर के आविष्कार ने इन क्षेत्रों में जो क्रांति लाई वह काबिले-तारीफ है। कंप्यूटर के माध्यम से डिज़ाइनिंग व छपाई को एक नया स्वरूप मिला।

आज के समय की पत्र-पत्रिकाओं व समाचार पत्रों में जो बदलाव आया है, वो भी कंप्यूटर की ही देन है। कंप्यूटर के आविष्कार के साथ कई नए कार्यक्षेत्रों का भी जन्म हुआ, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। आज कंप्यूटर हर क्षेत्र में अपना स्थान बना चुका है। फिर चाहे वह हवाई-अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय हो, बैंक हो, पत्र-पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों का कार्यालय हो, पलक झपकते ही हम इसके द्वारा अपने कार्यों को कर सकते हैं।

अपने कार्यों को और अच्छा बनाने के लिए हम ई-मेल का सहारा लेते हैं। आज ई-मेल भी हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण ज़रूरत के रूप में सामने आया है। एक विद्यार्थी के लिए तो यह रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। पहले विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के लिए पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं तक ही सीमित रहना पड़ता था। इस कारण उसका ज्ञान भी सीमित रहता था।

जितनी जानकारी उसे एक या दो पुस्तकों से प्राप्त होती थी, उससे कहीं अधिक सामग्री उसे कम्प्यूटर के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है। कंप्यूटर व ई-मेल के माध्यम से उसका अध्ययन क्षेत्र विस्तृत बन गया है। अब उसे एक ही विषय से सम्बन्धित ढेरों जानकारियाँ घर में ही उपलब्ध हो जाती हैं। उसका ज्ञान क्षेत्र अब सीमित दायरों से निकलकर विशाल समुद्र की तरह हो गया है। फिर चाहे वह किसी भी क्षेत्र का विद्यार्थी क्यों न हो। कंप्यूटर के इतने सारे गुणों को देखते हुए इसे मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। आज इसके बिना अपने कार्यों की कल्पना करना असंभव है।

चरित्र की दृढ़ता और उसका महत्व

'चरित्र' यह शब्द हर व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का दर्पण है। इस दर्पण में देखकर दूसरा मनुष्य हमारा मूल्यांकन करता है; अर्थात् हम कैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारे बोलने, चलने का तरीका कैसा है, हमारा रहन-सहन, हमारी सोच इत्यादि। भारतीय ग्रंथों में मनुष्य के चरित्र को विशेष महत्त्व दिया गया है। इसी आधार पर उनकी पूजा भी की गई है। राजा हरिश्चन्द्र, भगवान राम, श्री कृष्ण, महात्मा गाँधी, लाल बहादुर शास्त्री जैसी महान विभूतियाँ हैं, जिन्होंने अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त किया।

जैसे-जैसे युग बदलते गए मनुष्य की चारित्रिक विशेषताएँ लुप्त होती गईं। जहाँ एक ओर सच्चाई, ईमानदारी, बड़ों का सम्मान आदि बातें मनुष्य के चरित्र का मुख्य आधार हुआ करती थीं, ये सब विशेषताएँ कहीं लुप्त होती जा रही हैं। आज के इस आधुनिक युग की चकाचौंध में मनुष्य अपने सारे मूल्य खोता जा रहा है। आज अपनी बाहरी सुंदरता को इस तरह चमकाने में लगा है कि उसने अपने इन मूल्यों की उपेक्षा करना आरंभ कर दिया है।

समाज की रीढ़ उसका युवावर्ग होता है। युवावर्ग समाज को एक नई दिशा और एक नया रूप प्रदान करता है। युवावर्ग इतनी शक्ति रखता है कि वे चाहे, तो समाज में एक क्रांति पैदा कर दे। इसका उदाहरण हैं- आज़ादी के समय का युवावर्ग। इस वर्ग ने अपने क्रांतिकारी विचारों से भारत को गुलामी से आज़ादी की ओर अग्रसर किया।

उन्होंने सच्चाई, ईमानदारी, देशभक्ति, बलिदान और त्याग के द्वारा भारत के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। अत्यधिक पीछे के इतिहास में जाएँ, तो राजा राम जैसे प्रतापी राजा अपनी चारित्रिक विशेषताओं से इतिहास में अमर हो गए। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। यह सम्मान उन्हें शारीरिक सुंदरता या राजपुत्र होने के कारण प्राप्त नहीं हुआ अपितु अपने वचनबद्धता, मृदुलभाषी, सहनशील, आज्ञाकारी, सदाचारी, सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ, न्यायप्रिय आदि गुणों के कारण प्राप्त हुआ। इसके विपरीत आज के युवाओं में इन गुणों का सर्वथा अभाव देखा जा सकता है।

आज का युवा पथ भ्रमित हो रहा है। अपने मूल्यों व चरित्र का नाश करते हुए वह फ़ैशन में स्वयं को तलाशता हुआ फिर रहा है। उसको स्वयं को सँवारने के लिए नित नए कपड़े, बहुमूल्य वस्तुएँ और गाड़ियों की आवश्यकता पड़ रही है। वह इस लिपा-पोती के चक्कर में स्वयं की अंदरूनी शक्ति का हास कर रहा है। बस भेड़चाल में आकर स्वयं को फूहड़ बनाने में तुला रहता है। फ़ैशन करना गलत नहीं होता। फ़ैशन इसलिए किया जाता है कि हम अपनी अंदरूनी खूबसूरती के साथ बाह्य सुंदरता को भी बढ़ा सकें।

आज का युवावर्ग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। वे चोरी करते हैं। घर में बड़ों से झूठ बोलते हैं। माता-पिता द्वारा माँगों को पूरा न करने पर उनसे अपशब्द बोलते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेईमानी का सहारा लेने लगते हैं। गंदी आदतों में पड़कर स्वयं के व्यक्तित्व को ही नष्ट कर डालते हैं। शराब, सिगरेट व जुआ उनके लिए फ़ैशन का ही हिस्सा है।

इनकी ज़रूरत हो या नहीं उन्हें यह नहीं पता, बस दूसरे की देखा-देखी कर कब इनका सबका सेवन आरंभ कर देते हैं और इनका गुलाम बन जाते हैं। इन अनैतिक कार्यों को करते हुए वे अपना चरित्र निर्माण नहीं कर पाते बल्कि इसके विपरीत उनकी आपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगती हैं। आज सरेआम स्त्रियों व लड़कियों के साथ छेड़खानी होने लगी है, जगह-जगह शराब व जुएँ के कारण मार-पीट व हत्याओं के मामले बढ़ने लगे हैं। समाज में युवावर्ग का चारित्रिक पतन हो रहा है। इस तरह हम समाज में आदर और प्रेम नहीं पा सकते हैं अपितु लोगों में हमारे प्रति घृणा और नफरत का भाव पैदा हो जाता है।

हमें चाहिए कि हम चरित्र के महत्त्व को समझें। सदैव इस बात को स्मरण रखें, फ़ैशन हमारे बाहरी रूप को तो सुंदरता प्रदान कर सकता है परन्तु हमारा सही परिचय हमारा व्यक्तित्व या चरित्र ही होता है। चरित्र को निखारने के लिए अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को विशेष स्थान दें। हमेशा समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के लिए प्रयासरत रहें। बड़ों व दूसरों को सम्मान दें।

ईमानदारीपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। बुरी आदतों से स्वयं को दूर रखें। वचनबद्धता, मृदुलभाषी, सहनशील, आज्ञाकारी, सदाचारी, सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ आदि गुणों को भी आत्मसात करें। हम देखेंगे कि हमारे चरित्र की कीर्ति हमें स्वयं ही समाज में विशेष स्थान प्राप्त करवाती है। सभी से हमें प्रेम, स्नेह और आदर बिना कहे मिलेगा। हम परिवार में हों, व्यवसाय में हों या अपने कार्यालय में हमें हमारे चरित्र के कारण जाना जाएगा।

टेलीविज़न या टी.वी. चैनलों के लाभ और हानियाँ

वर्तमान समय में टेलीविज़न का बोलबाला है। आज के इस युग में अमीर हों या गरीब हों, सबके घरों में टेलीविज़न अवश्य मिलेगा। टेलीविज़न के बिना एक घर की कल्पना करना असम्भव सा है। यह मनुष्य के मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका है इसलिए यह मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सुलभ साधन बन चुका है। टेलीविज़न का सामाजिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान में वृद्धि करता है। इसकी लोकप्रियता का ही आलम है कि 143 और नए टी.वी. चैनलों ने प्रसारण मंत्रालय से प्रसारण का अधिकार माँगा है। आज इसकी पहुँच गाँव-गाँव तक है।

आज से 20 साल पहले टेलीविज़न पर दूरदर्शन चैनल का एकछत्र राज था। उसके द्वारा दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों का बोलबाला हुआ करता था। उसके द्वारा दिखाए जाने वाले कार्यक्रम जैसे; हम लोग, चित्रहार, चित्रमाला, रामायण, महाभारत, मालगुड़ी डेज़, स्पाइडर मैन आदि थे। दूरदर्शन के द्वारा शिक्षा सम्बन्धित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते थे, जिनमें विज्ञान व गणित से जुड़े विषय हुआ करते थे। ज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम बच्चों में खासा लोकप्रिय हुआ करता था। यू.जी.सी. में ऐसे बहुत से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे, जो बच्चों को उनकी परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री दिया करते थे।

आज की स्थिति इसके विपरीत है। अब टेलीविज़न में दूरदर्शन का एकछत्र राज नहीं रह गया है। रोज नए चैनल टेलीविज़न में प्रसारित किए जा रहे हैं। ये सब 'केबल' क्रान्ति के माध्यम से ही सम्भव हो पाया है। आज तकरीबन 80-90 चैनल टेलीविज़न में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये चैनल दर्शकों की माँग व ज़रूरत के आधार पर कार्यक्रम दे रहे हैं। टेलीविज़न पर अनेक प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहे हैं। ये चैनल ज्ञान संबंधी व मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम दे रहे हैं। ये चैनल इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि दर्शकों को उनकी उम्र व पसंद के मुताबिक ही कार्यक्रम दिए जाएँ इसलिए इनका प्रभाव दिन-प्रतिदिन हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है।

ये चैनल महिलाओं, पुरूषों, बच्चों, वृद्धों, युवावर्गों और किसी भी व्यवसाय से जुड़े लोगों की पसन्द व ज़रूरतों के अनुसार कार्यक्रम देते हैं। इस प्रकार घर में बैठे-बैठे आप अपनी रूचि के अनुसार कार्यक्रम को देख सकते हैं। इन चैनलों के माध्यम से बाज़ार में उपलब्ध हर छोटे बड़े उत्पादों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं। इससे उत्पादक बनाने वाली कंपनियों की सीधी पहुँच जनमानस तक होती है, जो उत्पादक धारकों व विक्रेताओं दोनों के लिए लाभकारी होता है।

समाचार चैनलों के माध्यम से आम जनता को सरकार की नीतियों का पता चलता रहता है। सरकार आम जनता के पक्ष में क्या कार्य कर रही है और क्या नहीं इस विषय में भी इन चैनलों के माध्यम से जनता जागरूक रहती है। टी.वी ने जहाँ हमारे युवावर्ग पर अच्छा प्रभाव डाला है। उनके अध्ययन से सम्बन्धित जानकारियाँ, उन्हें चैनलों द्वारा प्रसारित शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों से मिल जाती है।

भक्ति व देशभक्ति कार्यक्रमों द्वारा उनका सही मार्गदर्शन होता है और वे दिशा भ्रमित नहीं होते। ज्ञान-विज्ञान प्रतियोगिताओं द्वारा उनका बौद्धिक व मानसिक विकास होता है। इन टेलीविज़न की दर्शकों तक सीधी पहुँच के कारण युवावर्ग पर इसका अच्छा व बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ एक ओर हमारे मनोरंजन के लिए यह सशक्त माध्यम है, वहीं हमारे लिए जी का जंजाल भी बनता जा रहा है।

टी.वी. चैनलों का प्रभाव चूँकि सीधा पड़ता है इसलिए हमें अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। आज टेलीविज़न के माध्यम से सेक्स व हिंसा परोसी जा रही है, उससे हमारा युवावर्ग हिंसा में ज़्यादा घुलता दिखाई पड़ रहा है। इस कारण समाज में दिन-प्रतिदिन खून-खराबा, लड़ाई-झगड़े, चोरी-चकारी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं।

20 साल पहले दूरदर्शन में जो कार्यक्रम प्रस्तुत होते थे, वो समाज में सदैव अच्छी सीख का प्रसार करते थे। परन्तु आज के टी.वी. चैनलों के नैतिक मूल्यों में गिरावट बनी हुई है। उनका मकसद दर्शकों तक अपनी पहुँच व अपनी टी.आर.पी. को बढ़ाना है। इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। कार्यक्रमों में अश्लीलता पर ज़ोर दिया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह सब पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करने का ही परिणाम है।

इससे हमारी सामाजिक व्यवस्था में बुरा असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी टी.वी. हम पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। लगातार टी.वी. देखने से आँखों संबंधी बीमारी अधिक देखने को मिलती है। महिलाएँ अधिक टी.वी. देखने के कारण अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देतीं। बच्चे इसके कारण पढ़ाई से लापरवाह हो रहे हैं।

टी.वी. चैनलों द्वारा प्रसारित अधिकतर कार्यक्रम अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए हिंसा व अश्लीलता से भरे रहते हैं, जिसमें सरकार का पूर्ण नियंत्रण न होने से हर चैनल में इन्हें दिखाने की होड़ लगी रहती है। ये सब हमारे समाज के लिए हानिकारक हैं। हमें चाहिए कि हम इन कार्यक्रमों के प्रति पूरी सावधानी बरतें।

अपने बच्चों व युवावर्ग को इनसे दूर रखें क्योंकि यदि हम इन कार्यक्रमों के प्रति लापरवाह हो जाएँगे, तो यह कार्यक्रम हमारे बच्चों व युवावर्ग को भ्रमित कर उनको अपने पथ से विचलित कर सकते हैं। हमें चाहिए कि सिर्फ उन्हीं चैनलों व कार्यक्रमों को देखें, जो हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं न कि हमारे विकास के मार्ग में बाधक हैं। टी.वी. का निर्माण हमारे मनोरंजन के लिए किया गया है। इसको मनोरंजन का साधन ही बने रहने में हमारी भलाई है।

पत्र-पत्रिकाओं की उपयोगिता

पत्र-पत्रिकाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनुष्य हमेशा से जिज्ञासु स्वभाव का रहा है। इस ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए वह सदैव प्रयासरत रहा है और उसका यही प्रयास उसे जगह-जगह भ्रमण करने के लिए विवश करता रहा है। परन्तु आज परिस्थितियाँ पहले से भिन्न हैं। आज अपनी इस ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए उसे भटकने की आवश्यकता नहीं है। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से उसे बहुत-सी ज्ञानवर्धक सामग्री सुलभता से प्राप्त हो जाती है।

पहले के समय में यह संभव नहीं था। हमारे पास छापेखाने नहीं होते थे कि हम पत्र-पत्रिकाओं को छाप सकते और न ही इतने साधन, जिसके माध्यम से हम इतना ज्ञान एकत्र कर पाते। परन्तु आज की स्थिति इससे उलटी है। हमारे पास आज देश-विदेश की अनेक जानकारियाँ प्राप्त हैं। हमें किसी भी विषय में जानकारी चाहिए, पत्रिका उठाओ और उस देश व जगह से सम्बन्धित सारी जानकारी मिनिटों में हमारे पास होती है। इन्हीं सब कारणों से पत्रिकाओं का चलन हमारे दैनिक जीवन में आम होता चला गया।

हमें चाहिए कि हम सदैव पत्र-पत्रिकाओं का पाठन नियमित रूप से करते रहें। इसके बहुत से लाभ होते हैं। यदि हम नियमित रूप से इन पत्रिकाओं का पाठन करते रहेंगे, तो हमें उस समय से सम्बन्धित हर बात का ज्ञान रहेगा। पत्रिकाएँ हमें हर तरह की सामग्री उपलब्ध कराती हैं। आज पत्रिकाओं के माध्यम से फैशन, देश-दुनिया, खान-पान, नेताओं व अभिनेताओं, दूसरे देशों में चल रहे शांति अधिवेशन या युद्ध, देश-विदेश के मौसम व परिवेश सम्बन्धित ढेरों जानकारियाँ प्राप्त हुआ करती हैं।

हम इनका नियमित रूप से पाठन करते रहें, तो हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। पत्रिकाओं से अर्जित यही ज्ञान हमें पूरक परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आज बाज़ार में हर विषय से जुड़ी अलग-अलग पत्र-पत्रिकाएँ भरी पड़ी हैं। बस आवश्यकता सही पत्र-पत्रिका चुनने की है।

नियमित पत्र-पत्रिकाओं का पाठन मनुष्य को विकास की ओर अग्रसर करता है। जिस तरह हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह मानसिक विकास के लिए पत्र-पत्रिकाओं का नियमित पठन-पाठन एक वरदान के समान है। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हम नीरसता और अकेलेपन से वरन निजात ही नहीं पाएँगे अपितु अपने समय का सही उपयोग कर स्वयं को मानसिक विकारों से भी दूर रख पाएँगे। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हम राजनीति, विज्ञान, साहित्य, धर्म, अर्थशास्त्र, ग्रह-नक्षत्र, चिकित्सा, कवियों, नाटककारों, इतिहासकारों आदि के विषय में अधिक से अधिक जान पाएँगे।

यही सब ज्ञान हमारे विकास के लिए पथ का निर्माण करेगा। यद्यपि यह सही है कि आज अन्य ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ आपको ज्ञान के स्थान पर और मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसती हुई भी मिलेंगी परन्तु फिर भी विवेकशील मनुष्य ज्ञानवर्धक पत्रिकाओं का ही चयन करता है।

हमें चाहिए कि हम अपनी विवेकशीलता का परिचय दें और इस तरह की पत्र-पत्रिकाओं से स्वयं को दूर रखें। जो पत्र-पत्रिका हमारे विचारों व सोच पर अंकुश लगा देती हैं और हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उनसे तौबा करने में ही हमारी भलाई है। इन सब के होते हुए भी यदि देखा जाए, तो पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा हुई हानियाँ हमारे आगे नगण्य ही हैं बल्कि इसकी उपयोगिता हमारे जीवन के बहुमुखी विकास के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए हमें सदैव अच्छी पत्र-पत्रिकाओं का पठन-पाठन करना चाहिए व स्वयं के जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए।

पोलियो

पोलियो बच्चों में होने वाली मुख्य बीमारी है। भारत जैसे देशों में इस बीमारी का व्यापक प्रकोप देखने को मिलता है। यह बीमारी शिशुओं को ही अपना शिकार बनाती है। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए व्यापक तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं। 20 वीं सदी में यह बच्चों में होने वाली भयानक बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई थी। यह बीमारी आधिकतर एक से दो साल की उम्र के बच्चों को होती है। पोलियो को 'पोलियोमैलाइटिस' व 'शिशुओं का लकवा' भी कहा जाता है। यह एक विषाणु से होने वाला भीषण संक्रामक रोग है। माना जाता है, यह रोग साधारणतय एक बच्चे से दूसरे बच्चे में संक्रमित भोजन के माध्यम से फैलता है।

यह विषाणु नाड़ी तंत्र पर प्रहार करता है और कुछ ही घण्टों के अन्दर पीड़ित बच्चे को पूर्ण पक्षाघात (लकवा) हो जाता है। यह वायरस हमारे शरीर में मुँह के रास्ते से भीतर पहुँचता है। यह आंत के अंदर

बढ़ता है। इसके आरंभ में इस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं; जैसे- साधारण पलू, बुखार, उल्टी, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द व गर्दन में अकड़न इत्यादि। इस रोग में पीड़ित को पक्षाघात (लकवा) हो सकता है। एक प्रतिशत से कम मामलों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में घुसकर यह विषाणु अपना प्रकोप फैलाता है। यह सर्वप्रथम स्नायु को संक्रमित कर उसे समाप्त कर देता है।

इसका प्रभाव यह पड़ता है कि मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और पीड़ित व्यक्ति तेज़ पक्षाघात (लकवा) का शिकार हो जाता है। पक्षाघात (लकवे) की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि विषाणु ने किस-किस तंत्रिका को संक्रमित किया है। साधारणतय जो पोलियो देखा जाता है, वह मेरुरज्जु का पोलियो होता है। इसमें पीड़ित पक्षाघात (लकवा) का शिकार होता है और उसके पैर इसमें प्रभावित होते हैं।

इस बीमारी के विषाणु दूषित जल, मल-मूत्र, कफ़ व दूषित खाद्य पदार्थों में रहते हैं। मक्खियाँ इस बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। गर्मी व वसंत में इस बीमारी का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है।

वैज्ञानिकों ने पोलियो का पक्का इलाज ढूँढने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की है। प्रतिरक्षण दवाओं के माध्यम से ही इस बीमारी की रोकथाम में सहायता ली जा रही है। पोलियो के वैक्सीन को बार-बार देकर बच्चों के अंदर संपूर्ण जीवन के लिए रक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। सौ में से पाँच या छः मामलों को छोड़ दिया जाए, तो यह काफी हद तक कारगर साबित हुआ है। सिर्फ़ वही बच्चे इस बीमारी का शिकार होते हैं, जो इस वैक्सीन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दिखा पाते और इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं।

भारत सरकार ने पोलियो के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इसके उन्मूलन के लिए प्रयास किए हैं। भारत सरकार पूरे भारत में मुफ्त पोलियो प्रतिरक्षण दवाएं वितरित करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वह समय-समय पर पोलियो उन्मूलन कैंप पूरे भारत में लगाती है तथा पूरा प्रयास करती है कि भारत में उत्पन्न 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को साल में कुछ बार इसकी प्रतिरक्षण दवा पिलाई जा सके। वह कुछ स्वयंसेवी संगठन की भी सहायता लेती है।

इसके अतिरिक्त घर-घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाती है। भारत सरकार के साथ-साथ विश्व में कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठन भी पोलियो उन्मूलन की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमें भी सरकार के इस सराहनीय कदम में कंधे-से-कंधा मिलाकर चलना चाहिए और अपने बच्चों को सरकार द्वारा लगाए गए कैंप में पोलियो पिलाने भेजना चाहिए। लोगों को भी इस ओर जागरूक करना चाहिए, तभी हम इस बीमारी को जड़ से उखाड़ पाएँगे। पूरे भारत में सरकार द्वारा दिया नारा गूँज रहा है, उसे मिलकर कहें- 'दो बूंद जिंदगी के'

मेरा भारत महान

मेरा भारत यह मात्र शब्द नहीं है अपितु हर हिन्दुस्तानी के दिल की आवाज़ है। हर हिन्दुस्तानी का गौरव है, उसका सम्मान है और सबसे बड़ी बात उसकी पहचान है। हम इस भूमि में पैदा हुए हैं। हमारे लिए यह इतना महत्वपूर्ण है, जितना कि हमारे माता-पिता हमारे लिए। भारत सिर्फ़ एक भू-भाग का नाम नहीं है अपितु उस भू-भाग में बसे लोगों, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके रीति-रिवाजों, उनके अमूल्य इतिहास का नाम है। हमारी मातृभूमि के भौतिक स्वरूप का नाम भारत है।

भारत का भौगोलिक स्वरूप बहुत ही विशाल है। इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय खड़ा भारत के ताज़ के समान सुशोभित हो रहा है। दक्षिण में अथाह समुद्र लहराता हुआ, इसके चरणों को धो रहा है। पश्चिम में रेगिस्तान की मरूभूमि है, जो इसकी दुशाला के समान लहरा रही है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इसके हाथ में अमृत से भरे पात्र के समान विद्यमान है। ये सब इसकी स्थिति को मज़बूत व प्रभावशाली बनाए हुए हैं।

भारत में जगह-जगह पहाड़ी स्थल, जंगल, हरे-भरे मैदान, रमणीय स्थल, सुन्दर समुद्र तट, देवालय आदि इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जहाँ एक ओर स्वर्ग के रूप में कश्मीर है, तो दूसरी ओर सागर की सुन्दरता लिए दक्षिण भारत। यहाँ अनगिनत नदियाँ बहती हैं, जो अपने स्वरूप द्वारा इसको दिव्यता प्रदान करती हैं। ये नदियाँ प्रत्येक भारतीय के लिए माँ के समान पूजनीय है। संसार की सबसे ऊँची चोटी भी भारत में ही स्थित है। इन सभी कारणों से यह रमणीय और रोमांचकारी बन जाता है।

भारत की सभ्यता समस्त संसार में सबसे प्राचीनतम है। इसकी भूमि ने अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों को जन्म दिया है। इसने एक संस्कृति का पोषण नहीं किया अपितु अनेक संस्कृतियों को अपनी मातृत्व की छाया में पाल-पोसकर महान संस्कृतियों के रूप में उभारा है। इस भारतवर्ष की भूमि ने राजा राम और श्री कृष्ण को ही जन्म नहीं दिया बल्कि महात्मा गाँधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, पृथ्वीराज चौहान जैसे महापुरुषों को भी जन्म दिया है। इन महान आत्माओं ने योगदान द्वारा अपना नाम अमिट अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया है। भारत ने जहाँ एक ओर गुलामी को सहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता संग्राम का साक्ष्य भी रहा है।

भारत में एक धर्म नहीं अपितु अनेक धर्म एक साथ रहते हुए एकता का संदेश देते हैं। यहाँ हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के धर्म अपनी पद्धति के अनुसार पूजा करते हैं। यहाँ सभी धर्मावलंबियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ सभी धर्म एक परिवार की भाँति साथ रहते हैं।

भारत में विभिन्नता में एकता के दर्शन होते हैं। यह अनेक राज्यों का समूह है। प्रत्येक राज्यों से अलग-अलग संस्कृतियाँ जुड़ी हुई हैं। हर राज्य में अलग-अलग त्यौहार व अपनी अलग परम्पराएँ हैं। यहाँ केरल में पोंगल मनाया जाता है, तो पंजाब में बैसाखी महत्त्वपूर्ण है। दिल्ली में दशहरा की धूम मचती है, तो महाराष्ट्र में गणेश पूजन की। बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम है, तो बिहार में छट पूजा की।

यहाँ रहन-सहन व वेशभूषा में भी प्रायः भिन्नता देखने को मिलती है परन्तु इन सब के होते हुए भी यह माला के मोतियों की भाँति आपस में एकता का सन्देश वितरित करते हैं। इन सब गुणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष का स्वरूप जितना भव्य और विशाल है, उसका मन उतना ही उन्नत और उदार है।

भारतमें विभिन्न धर्म व जातियाँ विद्यमान हैं, वहीं उनके साथ विभिन्न भाषाएँ भी इसकी माला में पिरोए हुए हैं। यहाँ अनगिनत भाषाएँ बोली जाती हैं। राज्यभाषा के रूप में एक तरफ हिन्दी को मान्यता प्राप्त है, तो संस्कृत, मलयालम, मराठी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, तेलगु, तमिल, कन्नड़, आदि अनेकों भाषाओं का संगम भी भारत की छत के नीचे ही होता है। असंख्य महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। यह देश विविध पावन स्थलों से भरा हुआ है। यह कहना अनुचित न होगा कि इसका कण-कण पावन है। मुझे अपने भारत

देश पर गर्व है। अनेकता में एकता की इस छवि को मैं नत-मस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। इकबाल के शब्दों में इसकी महत्वता को सजीव रूप मिलता है—

"सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा।

हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा।।"

राष्ट्रीय खेल /हॉकी मेरा प्रिय खेल /हमारा राष्ट्रीय खेल

खेल मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेल एक तरफ जहाँ शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखता है, वहीं दूसरी ओर हमारा मनोरंजन भी करता है। हमारे देश में विभिन्न खेल खेले जाते हैं। परन्तु हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी मेरा भी प्रिय खेल है। यह ऐसा खेल है, जो विश्वभर में खेला जाता है। विश्वभर में इसे अन्य खेलों की भांति लोकप्रियता प्राप्त है। एशिया और यूरोप की खेल प्रतियोगिताओं के साथ-साथ ओलंपिक में भी हॉकी को विशेष स्थान प्राप्त है। हॉकी का एक अन्य रूप आईस हॉकी भी देखने को मिलता है।

विश्व में हॉकी के उद्भव व विकास में मतभेद माना जाता है। एक मत के अनुसार ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व हॉकी का खेल फारस में खेला जाता था। वहाँ से होता हुआ, यह यूनान के ओलंपिक में भी खेला जाने लगा। परन्तु एक मत के अनुसार इसका आरम्भ ईरान से हुआ मानते हैं। भारत में हॉकी का आगमन 1908 में हुआ था। 7 नवम्बर, 1925 को 'अखिल भारतीय हॉकी संघ' की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1926 से 1980 तक का काल भारत में हॉकी के स्वर्णिमकाल के रूप में जाना जाता है। हॉकी ही एक ऐसा खेल था, जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारतीयों को सम्मान से सर उठाने का मौका दिया था।

मेजर ध्यान चंद का इसमें मुख्य हाथ रहा है। वह 'हॉकी के जादूगर' कहलाए जाते थे। जर्मनी के शासक हिटलर को ध्यान चंद के खेल ने चमत्कृत कर दिया था। हिटलर इनके खेल से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इन्हें जर्मन नागरिकता और जर्मन सेना में जनरल बना देने की पेशकश की थी। लेकिन ध्यान चंद ने इस पेशकश को विनम्रता से लौटा दिया। ध्यान चंद ऐसे लोगों में से एक थे, जिन्होंने गुलाम भारत को विश्व में विशिष्ट पहचान दिलाई।

इनकी अगुवाई में भारत ने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में तीन बार स्वर्ण पदक जीता था। आगे चलकर 1975 में भारत ने विश्वकप जीतने में भी सफलता पाई थी। भारत की हॉकी के लिए यह गर्व की बात थी। हॉकी के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन ने हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल बना दिया। हॉकी ने अपनी विशेषता के कारण प्रत्येक भारतीय के दिल में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। धनराज पिल्लै ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें हॉकी का प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित खिलाड़ी माना जाता है। इनके प्रयासों के कारण भी हॉकी को लंबे समय तक के लिए जाना जाता है।

हॉकी में प्रत्येक टीम में ग्यारह-ग्यारह खिलाड़ी होते हैं। इसमें मैदान को दो हिस्सों में बाँटा दिया जाता है। मैदान के दोनों किनारों पर गोल-पोस्ट होते हैं। गोल के सामने डी के आकार का अर्ध गोला बना होता है। इसे 'डी' कहते हैं। इस 'डी' के अंदर बॉल को मारने से यदि बॉल गोल-पोस्ट में चली जाती है, तो गोल माना जाता है। यह खेल 35-35 मिनट की पारियों में खेला जाता है। जो टीम अधिक गोल करती, वह विजयी

कहलाती है। मैदान के बीचों-बीच खींची 'सेन्ट्रल रेखा' से इस खेल की शुरुआत होती है। इस खेल में गोल कीपर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खिलाड़ी, हॉकी की सहायता से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपनी टीम के लिए गोल करने का प्रयास करते हैं। कुछ रक्षा प्रणाली (डिफेंस) में खड़े रहकर अपने साथी को गोल करने में सहायता करते हैं। उनके विपक्षी अपनी हॉकी से बॉल छिनने का प्रयास करते हैं। उनका यह प्रयास बड़ा आनंदायी होता है। खेल का रोमांच दोनों टीमों के बीच इसी समय देखा जा सकता है। दोनों का यही प्रयास होता है कि सामने वाला गोल न कर पाए।

जब भी यह खेल होना होता है, मैं बड़ी उत्सुकता से इसे देखता हूँ। अपने स्कूल की हॉकी टीम का मैं कप्तान भी हूँ। आज भारत में हॉकी की दुर्दशा देखते ही बनती है। परन्तु मुझे विश्वास है कि यह एक दिन अपना खोया हुआ गौरव फिर से प्राप्त कर स्वयं को उसी प्रतिष्ठा पर दुबारा ला खड़ा करेगी।

विद्यालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम

हमारे विद्यालय में कुछ दिन पहले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। इससे पहले हमारे विद्यालय में शायद ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ हो। आज भी उस कार्यक्रम का स्मरण आते ही हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। प्रधानाचार्य जी द्वारा प्रार्थना सभा में घोषण की गई कि एक जनवरी को हमारे विद्यालय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को यह निर्देश दे दिए गए कि जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं, वे अपनी मुख्य अध्यापिका को अपने नाम लिखवा दें। सबको इस बात के भी निर्देश दिए गए थे कि सभी विद्यार्थी घर से कुछ न कुछ सजाने के लिए अपने हाथों से बनाकर लाएँगे व इस कार्यक्रम में अपना योगदान देंगे।

समारोह से पन्द्रह दिन पहले से ही हमारे विद्यालय में इस आयोजन की तैयारियाँ आरम्भ हो गईं। संस्कृत के अध्यापक नारायण शास्त्री को सर्वसम्मति से प्रभारी (इंचार्ज) नियुक्त किया गया। समारोह का सारा कार्यभार उन पर आ पड़ा। सभी कक्षाओं के मुख्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं ने कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के इच्छुक छात्रों व छात्राओं की सूची उन्हें सौंप दी। नारायण जी ने उन बच्चों को एकत्र कर उन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग-अलग कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए बाँट दिया। उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए और कुछ विद्यार्थियों को नृत्य-नाटिका के लिए तैयार किया।

उन्होंने विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता व निबंध प्रतियोगिता भी रखी, जिसमें सभी छात्र/छात्राएँ भाग ले सकें। शास्त्री जी ने कुछ विद्यार्थियों को समारोह में उनके साथ समारोह का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया व कुछ छात्राओं को अतिथियों का स्वागत करने के लिए नियुक्त किया। रंगारंग कार्यक्रम का दिन आ पहुँचा। उस समारोह के लिए हमारे क्षेत्र के जिला अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था। बच्चों द्वारा बनाई गई साज-सज्जा की चीजों से स्कूल को सजाया गया। चारों तरफ फूलों की मालाएँ व रंग-बिरंगे कागज़ के रिबन लगाए गए। समारोह स्थल में एक ऊँचा व बड़ा मंडप बनाया गया। अतिथियों के लिए कुर्सियाँ व टेबलों को लगाया गया।

नियत समय पर कार्यक्रम आरम्भ हो गया। जिला अध्यक्ष के आते ही उनके स्वागत के लिए अभिनन्दन गीत गाया गया, जिसे बहुत ही मीठे सुरों से सँवारा गया था। उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम का सिलसिला प्रारम्भ हो गया। सर्वप्रथम अभिज्ञानशाकुन्तलम् पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसका आकर्षण व हिन्दी रूपान्तर देखते ही बनता था। सभी दर्शकों ने इस नृत्य-नाटिका की सराहना की। लोकनृत्य करने

वाले छात्र-छात्राओं ने रंग-बिरंगे सुन्दर परिधान पहने हुए थे, जिनकी छटा अलग ही बिखर रही थी। जब पंजाब का लोकनृत्य प्रस्तुत किया गया, तो सारे दर्शकों में उल्लास व रोमांच का वातावरण बिखर गया। गढ़वाल के लोकनृत्य को प्रस्तुत करती हुई लड़कियाँ एक दूसरे के कमर में हाथ डालते हुए ताल से ताल मिलाते हुए, बड़ी मोहक लग रही थीं। एक के बाद एक सभी राज्यों के लोकनृत्य प्रस्तुत किए गए। हरियाण व राजस्थानी नृत्य ने तो ऐसा समा बाँधा कि दर्शक भी नृत्य करने पर विवश हो गए। नृत्य करने वाले विद्यार्थियों के मुख आनन्द व उल्लास से दमक रहे थे।

लोकनृत्यों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। नृत्य के समाप्त होते ही चित्रकला प्रतियोगिता आरम्भ हुई। चित्रकला केवल छोटी कक्षा के छात्र-छात्राओं के लिए थी, जिसमें छोटी कक्षा के छात्र ने गाँधी जी का चित्र बनाकर जीत ली। निबंध प्रतियोगिता में सारे विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें आठवीं कक्षा के विद्यार्थी ने जीतकर दिखाया। प्रतियोगिताओं के समाप्त होने पर मुख्य अतिथि ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य के लिए पंजाब की नृत्य मंडली को प्रथम पुरस्कार दिया। नृत्य-नाटिका को द्वितीय व राजस्थानी नृत्य को तृतीय पुरस्कार दिया गया। चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता के नाम घोषित किए गए और उन्हें भी मुख्य अतिथि ने पुरस्कार वितरित किए।

इस प्रकार बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सारे दर्शकों का मन मोह उस समारोह को और भी रंगारंग बना दिया। विद्यालय के सभी अध्यापकों व विद्यार्थियों ने इस समारोह का आनन्द लिया। इस समारोह में शास्त्री जी की कार्यकुशलता को खुब सहारा गया। ये समारोह आज भी मुझे बहुत याद आता है। उस आनन्द को भुलना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

समय का सदुपयोग

समय का हमारे जीवन से एक महत्वपूर्ण रिश्ता है। जब मनुष्य का जन्म होता है, तब से समय सदैव उसके साथ बना रहता है। उसके अंत समय पर ही उसके साथ उसका समय समाप्त हो जाता है। यद्यपि मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परन्तु समय निरंतर अपनी धूरी पर चलता रहता है। वह शांत, निश्चल भाव से बिना किसी भेद-भाव के निरंतर चलता रहता है। समय का कार्य मात्र वर्षों व दिनों को दर्शाने तक सीमित नहीं है। वह यह भी दिखाता है कि हमने अपने जीवनकाल में उसका (समय) सदुपयोग किया है या दुरुपयोग।

इस संसार में अरबों की संख्या में मनुष्य रहते हैं पर उनमें से कुछ ही समय का सदुपयोग कर उन्नति प्राप्त करते हैं। सभी मनुष्यों के लिए यह संभव नहीं होता क्योंकि वे अपने समय का मूल्य न जानकर उसका सदुपयोग नहीं कर पाते और उनका अपव्यय करते हैं। वे अपने संपूर्ण जीवन में इसी दुःख से पीड़ित रहते हैं कि उन्होंने समय पर कुछ नहीं किया। "अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत"। यदि समय को सही तरह से व्यवस्थित किया जाए तो अपने जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है।

ऐसे कई उदाहरण हम स्वयं के जीवन में देख सकते हैं जब एक क्षण की देरी से हमें कई महत्वपूर्ण अवसरों से हाथ धोना पड़ा हो। रोमियों यदि कुछ क्षण धैर्य को धारण कर स्थिति को समझता तो शायद न उसे अपने प्राणों से हाथ धोना नहीं पड़ता और न ही जूलियट को। इस कहानी का तब शायद इतना दुःखद अंत नहीं होता। किसी कार्य को करने के लिए लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। ज़रा सी लापरवाही सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इससे समय तो बर्बाद होगा ही साथ में जो मेहनत बर्बाद होगी वो अलग।

हमें चाहिए कि हम समय का सदुपयोग करें। हर कार्य को निश्चित समय अवधि पर या पहले समाप्त करें ताकि बचे हुए समय में हम अपने अन्य कार्यों को पूरा कर सकें। तालिका बनाकर विभिन्न कार्यों को करने के लिए समय निश्चित करें और उसी कार्य तालिका के अनुसार कार्य को कार्यान्वित करें।

यदि हम समय को सम्मान देंगे तो वह बदले में उतना ही फल देगा। हमें चाहिए कि हम अपने खाली समय का ऐसा उपयोग करें जिससे वह बर्बाद न होकर हमारे लिए उपयोगी बन जाए। सर्वप्रथम हम ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। सभाओं, विचार, गोष्ठियों, चित्रकला, संगीत या अन्य कोई कला सीख सकते हैं, पूरक परीक्षा में भाग ले सकते हैं, बड़ों की मदद हेतु कार्य कर सकते हैं आदि।

हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए समय की बर्बादी पर रोक। अपने जीवन में हमें समय का पाबंद बनना चाहिए। एक विद्यार्थी के जीवन में समय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसका एक-एक पल उसके द्वारा व्यवस्थित होना चाहिए। उसे अपने खाने-पीने, खेलने, पढ़ने, सोने आदि के लिए एक तालिका का निर्माण करना आवश्यक है। यदि वह अपने समय को व्यवस्थित न कर यूँही बर्बाद करता रहेगा तो कभी भी अपनी परीक्षा संबंधी तैयारी समय पर समाप्त नहीं कर पाएगा और फलस्वरूप उसे परीक्षा में असफलता हाथ लगेगी। इसी बात पर रहीम जी ने कहा है,

समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक।

चतुरन चित रहिमन लगी, समय चूक की हूक।।

अर्थात् वही लोग जीवन में उन्नति व विकास को प्राप्त करते हैं जो अपने समय का मूल्य पहचानते हैं। हमें समय की माँग के अनुसार अपने समस्त कार्यों को पूरा करना चाहिए। एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। विद्यार्थी काल से ही समय की उपयोगिता पर ध्यान देकर अपने कार्यों को किया जाए तो समय संपूर्ण जीवन में हमारे विपरीत न जाते हुए हमारे समकक्ष चलने लगता है।

टाटा, बिड़ला, सचिन तेंदुलकर, रोहित बहल, संजीव कपूर, धनराज पिल्लै आदि जैसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने समय के सही उपयोग से ही सफलता अर्जित की है। एक पेड़ निश्चित समय पर फूल व फल देता है और उसके पक जाने पर उसे गिरा देता है। दूसरी तरफ मनुष्य अपने जीवन काल में बचपन, यौवन, वृद्धावस्था तक आ जाता है यह सब समय के होने व उसके व्यतीत होने का प्रमाण है कि समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता बल्कि अपनी गति से चलता रहता है।

हमें इस बात को सदैव गाँठ बाँधकर कर रख लेना चाहिए कि गया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। यदि इस बात को स्मरण कर समय का सदुपयोग किया जाए तो सदैव उन्नति व विकास हमारे कदम चूमेगी। "समय की कद्र" यही हमारा गुरुमंत्र होना चाहिए। हमें अपने जीवन में समय के महत्व को समझते हुए, इसका उपयोग करना चाहिए।

स्त्री शिक्षा

स्त्री समाज का आधार होती है। एक समाज के निर्माण में स्त्री की मुख्य भूमिका होती है। हमारे ग्रंथों में स्त्री को संसार की जननी कहा गया है। उसे देवी की तरह पूजा जाता है और आदर दिया जाता है। धर्म ग्रंथों में

स्त्री को पुरुष की सहधर्मचारिणी कहा गया है, जो उसके धर्म आदि कार्यों में बराबर का सहयोग करती है। उसे पुरुषों के समान ही जीवन का मजबूत आधार स्तंभ माना गया है।

इन सब बातों के बावजूद समाज में स्त्री की दशा दयनीय बनी हुई है। समाज में पुरुषों की वर्चस्वता ने उसके अस्तित्व को दबा कर रख दिया है। वह अब मात्र कहने के लिए सम्मान और आदर का प्रतीक बनकर रह गई है। वह आधार स्तंभ तो बनी परंतु पुरुष की दासता स्वीकार करने के लिए। पुरुष ने उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया। इसका परिणाम यह निकला की उसका अस्तित्व कहीं विलिन होने लगा।

समाज के विकास के लिए स्त्री का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। स्त्री जहाँ घर को संभालती है, वहीं वह एक जीवन को भी उत्पन्न करती है। उसके कंधों पर ही समाज के निर्माण का भार आ जाता है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि एक स्त्री अशिक्षित हो, तो समाज की क्या दशा होगी? भारत में आरंभ से स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं था परन्तु बदलते वातावरण ने उसके इस अधिकार को समाप्त कर दिया। जहाँ स्त्री शिक्षा के अधिकार से वंचित हुई, समाज में भी विभिन्न तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी।

स्त्री वह पहली कड़ी होती है, जिसके संपर्क में बच्चा आता है। वह माँ के द्वारा संसार को जानने समझने लगता है। माँ उसको जैसा संसार दिखाती है, वह संसार को वैसा ही देखने लगता है। यदि एक अशिक्षित माँ अन्य चीजों के बारे में खुद अज्ञान है, तो वह बच्चे को कैसे उचित और संपूर्ण ज्ञान दे पाएगी। इस तरह समाज का विकास रूक जाता है, जहाँ समाज का विकास रूकता है, देश का विकास अपने-आप रूक जाता है।

दूसरे स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक यही कारण नहीं हो सकता है, उसे स्वयं के विकास और समाज में गर्व के साथ खड़े होने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। अशिक्षित स्त्री अपने अधिकारों से वंचित होती है। कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। समाज में अशिक्षित होने के कारण उसका शोषण सबसे ज्यादा होता है। लंबे समय से पुरुष द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया है। यदि स्त्री शिक्षित है, तो वह स्वयं को स्वावलंबी बना सकती है, इससे वह अपने भरण पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। वह आत्मनिर्भरता बन जाती है। इस तरह अपने ऊपर हो रहे शोषण का विरोध कर स्वयं को बचा सकती है।

स्त्री का शिक्षित होना समाज, देश व उसके स्वयं के विकास के लिए अति आवश्यक है। जिस स्थान पर स्त्री शिक्षित होती है, वहाँ इतनी विषमताएँ देखने को नहीं मिलती है। हमें चाहिए की स्त्रियों को नाम का आदर व सम्मान न देकर उन्हें जीवन में सही विकास करने व जीवन स्वतंत्र रूप से जीने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध करना चाहिए। स्त्री की उन्नति देश की उन्नति है।

हमारी दिल्ली

दिल्ली भारत का दिल है। भारत की केन्द्रीय सरकार यहीं से सत्तासीन है। यह भारत की सांस्कृतिक नहीं अपितु आर्थिक, शैक्षणिक व राजनैतिक गतिविधियों का भी केन्द्र बिन्दु है। दिल्ली का इतिहास बहुत ही

प्राचीन है। दिल्ली को कई प्रसिद्ध राजाओं की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। कभी दिल्ली स्वाधीनता संग्राम का केन्द्र बिन्दु भी थी। यह पहले हिन्दु और बाद में मुगल शासकों की राजधानी थी। कहा जाता है पांडवों द्वारा जिस इन्द्रप्रस्थ शहर को बसाया गया था, वह शहर दिल्ली ही था। धीरे-धीरे इसमें कई हिन्दु शासकों ने राज किया। आगे चलकर भारत में मुगलों का आगमन हुआ। मुगलों ने दिल्ली में अनेक ऐतिहासिक इमारतें बनवाईं। परन्तु मुगल शासक शाहजहाँ ने राजधानी के रूप में दिल्ली को अपनाया।

उन्होंने लालकिले का निर्माण करवाया और चार दीवारी से घिरे शहर का निर्माण करवाया, जो उनकी राजधानी कहलाई। मुगलकाल के अंत के बाद अंग्रेजों का शासन आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के आरंभ में कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया था परन्तु वहाँ से उन्हें पूरे भारत में शासन करना कठिन लगा। अतः आगे चलकर उन्होंने भी दिल्ली को राजधानी के रूप में अपना लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह स्वतंत्र भारत की राजधानी बन गई और भारत का दिल कहलाई।

यह एक ऐसा शहर है, जहाँ आपको हर धर्म और हर जाति के लोग आपस में मिल-जुलकर रहते हुए दिखाई दे जाएंगे। यहाँ सिखों के गुरुद्वारे, हिन्दुओं के मन्दिर, मुस्लिमों की मस्जिदें और ईसाइयों के गिरजाघर भी विद्यमान हैं, जो सभी धर्मों के आपसी संगम की कहानी बयान करते हैं। सभी धर्मों में भाईचारे का समावेश उनके त्यौहारों और पर्वों में देखने को मिलता है।

भारत में दिल्ली सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। दिल्ली में जहाँ एक ओर राजनैतिक उठा-पठक होती रहती है, वहीं दूसरी ओर यह व्यापारिक केन्द्र भी है। दिल्ली का सदर बाज़ार और चाँदनी चौक सबसे बड़े व्यापारिक केन्द्रों में गिने जाते हैं। यहाँ से सारा माल भारत के विभिन्न राज्यों में पहुँचाया जाता है।

दिल्ली प्राचीनता और नवीनता का सुन्दर मिश्रण है। जहाँ एक ओर हमारी प्राचीन धरोहरें लाल-किला, कुतुबमीनार, बिड़ला मंदिर, जन्तर-मन्तर, इंडिया गेट और जामा मस्जिद विद्यमान हैं, वहीं मेट्रो रेल, बड़े-बड़े ऊपरगामी सेतु (फ्लाईओवर), शॉपिंग कम्प्लेक्स जैसे नवीनता की पहचान के रूप में भी विद्यमान हैं। हाल के वर्षों में दिल्ली का नक्शा ही बदल गया है। चारों तरफ ऊपरगामी सेतुओं (फ्लाईओवरों) का जाल है। साफ़-सुथरी सड़कें हैं, नए-नए शॉपिंग मॉल और सेन्टर हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण और मेट्रो के आगमन ने इसे देश का गौरव बना दिया है। इस नवीनीकरण ने दिल्ली की शकल ही बदलकर रख दी है।

इसके नवीनीकरण के कारण हम आज सर उठाकर कह सकते हैं कि हम दिल्ली के निवासी हैं। इसके पुराने व बदलते स्वरूप के हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। दिल्ली शहर का युवाओं में अलग ही आकर्षण देखने को मिलता है। वे अपने शहरों व गाँवों से यहाँ पढ़ने व रोज़गार प्राप्त करने आते हैं। दिल्ली उन्हें निराश न लौटाकर अपने में ही आत्मसात कर उन्हें भी अपना लेती है। इसकी सांस्कृतिक विविधता का यही मुख्य कारण है। अलग-अलग राज्यों से आए लोग इस शहर में एकता में अनेकता का भाव पैदा करते हैं।

युवाओं को कनाट प्लेस, इंडिया गेट, लोधी गार्डन, अनसल प्लाजा आदि जैसे स्थान बहुत प्रिय हैं। देश के सभी बड़े अस्पताल, बड़े बिज़नेस हाउस, कॉरपोरेट हाउस, मीडिया ग्रुप दिल्ली के अंदर विद्यमान हैं। दिल्ली के विश्वविद्यालय और कॉलेज पूरे भारत में अव्वल माने जाते हैं। दिल्ली में स्थित सफ़दरजंग और मेडिकल देश के सबसे बड़े अस्पताल हैं। ये अस्पताल सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है। यह ऐसा शहर है, जो हर सुविधाओं से युक्त माना जाता है। दिल्ली सबकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। अपनी विशेषताओं और सक्षमताओं के कारण ही यह सबसे अलग और विशिष्ट बन जाती है।

भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति और उनके निवास स्थान के रूप में राष्ट्रपति भवन इसके सम्मान में स्वयं ही कहानी कहते हैं, जिसे देखकर स्वतः ही मुँह से निकल जाता है, दिल्ली मेरी जान।

हमारी पहचान हिन्दी

हिन्दी एक भाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। हिन्दी हिन्दुस्तान की पहचान है। वैसे भारत में असंख्य भाषाएँ बोली जाती हैं परन्तु हिन्दी इन सबमें विशिष्ट है। इस भाषा के माध्यम से पूरा भारत आपस में जुड़ा हुआ है। हिन्दी का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ। यह विकास के विभिन्न चरणों से गुजरती हुई, इस शिखर पर आसीन हुई है।

भारत में मुगलों का शासन आरंभ हुआ, तब उन्होंने राज-काज की भाषा का सम्मान उर्दू-फ़ारसी को दिया। इसके पश्चात् अंग्रेजों का शासनकाल आरम्भ हुआ, तो उन्हें उर्दू-फ़ारसी में राज-काज संभालने में असुविधा हुई। अतः उन्होंने राज-काज की भाषा अंग्रेज़ी को बना दिया। यह इसलिए भी किया गया कि शासक अपनी हर बात को प्रजा पर थोपना चाहते थे ताकि प्रजा में हीनता उत्पन्न हो जाए और उसका राज ऐसी जनता पर कायम रहे, जो स्वयं को हीन समझती थी।

देश विभिन्न जातियों और धर्मों में बंटा हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों को ऐसी भाषा की आवश्यकता हुई, जो उन्हें एकता के सूत्र में पिरो सके और जन-जन की भाषा बन जाए। हिन्दी भाषा में उन्हें ऐसे गुण नज़र आए। फिर क्या था, हिन्दी जन-जन की भाषा बन गई। स्वतंत्रता की लड़ाई में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एक लम्बे अन्तराल के पश्चात् भारत ने गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ते हुए स्वयं का स्वतन्त्र अस्तित्व ढूँढा और आज़ाद देश बन गया। आज़ाद भारत ने नए सिरे से अपना विकास आरम्भ किया। देश को एक नई रूप-रेखा की आवश्यकता थी। अभी तक तो वह दूसरों के नियम कानूनों को निभा रहा था। अतः सर्वप्रथम अपने देश को एकत्र कर उसका संविधान निर्माण किया गया, तभी से हिन्दी के विकास का क्रम आरम्भ हुआ। संविधान में हिन्दी को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया था। 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया।

14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिंदी को संघ की राजभाषा का स्थान मिला था इसलिए यह गौरवपूर्ण दिन है। आज के दिन हम इसे पर्व के रूप में मना कर विश्व में हिंदी के प्रति जागृति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इस दिन प्रदर्शनी, मेले, गोष्ठी, सम्मेलन आदि का आयोजन करते हैं। हिंदी कवियों का उत्साहवर्धन करने के लिए इस दिन उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। हिंदी में ही कामकाज हो, इसके लिए हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। परन्तु इतना सब करने के बावजूद भी हिन्दी अपने ही देश में अपने अस्तित्व को खो रही है।

हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। सारा सरकारी तथा अर्ध-सरकारी काम उसी भाषा में किया जाता है। वही शिक्षा का माध्यम भी है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही विकास पथ पर अग्रसर होता है। संसार के सभी देशों ने अपने देश की भाषा के माध्यम से ही अनेक आविष्कार किए हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि हिन्दी आज़ादी के 63 साल गुज़र जाने के पश्चात् भी अपना सम्मानजनक स्थान नहीं पा सकी है। आज़ादी के समय हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयास का भरसक विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि इससे प्रांतीय भाषाएँ पिछड़ जाएँगी। अनुच्छेद 343 में लिखा गया है-

संघ की राजभाषा हिन्दी होगी और लिपि देवनागरी होगी परन्तु बाद में इसके साथ जोड़ दिया गया कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग होता रहेगा। इस तरह हिन्दी को 15 वर्ष का वनवास मिल गया। इस पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरु ने 1963 में संशोधन कर दिया कि जब तक एक भी राज्य हिन्दी का विरोध करेगा, हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं होगी। हिन्दी के सच्चे सेवकों ने इसका विरोध भी किया। कुछ समय बाद प्रांतीय भाषाओं में विवाद खड़ा हो गया। उत्तर और दक्षिण में हिन्दी का विरोध हुआ और इन दो पाटों में हिन्दी पिसने लगी। आज भी हिन्दी वनवासिनी है।

हमारे देश के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित नेता व अभिनेतागण अपनी भाषा में वक्तव्य देने से शर्माते हैं, तो वह कैसे स्वयं को भारत में प्रतिष्ठित कर पाएगी। भारतीयों द्वारा ही हिन्दी अपमानित हो रही है। पिछले कुछ समय से अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन हिन्दी तथा अन्य भाषाओं को परीक्षणों का माध्यम बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, जब जनता सरकार को बाध्य कर देगी और हिन्दी अपना स्थान अवश्य प्राप्त करेगी।

भारतेन्दु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त, निराला जी, यशपाल जी, और सबसे महत्वपूर्ण प्रेमचंद जैसे लेखकों ने हिन्दी में महत्वपूर्ण रचनाओं द्वारा इस भाषा को अमर कर दिया है।

आकाश को छूती पेट्रोल की कीमतें

आज के समय में मध्यमवर्ग को बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आय के साधन सीमित होने से घर की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो रही है और उस पर बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। हमारे देश में अनेक समस्याएँ पहले से ही विराजमान हैं, अब महंगाई होना मध्यमवर्ग के लिए और भी भयानक स्थिति पैदा कर रही है। महंगाई किसी एक क्षेत्र में नहीं है बल्कि आज खान-पान, वस्त्रों, घरेलू समानों, रेल टिकटों, हवाई जहाज यात्राओं, पेट्रोल व डीजल आदि की कीमतों में दिखाई दे रही है।

मध्यमवर्ग वैसे ही बेरोज़गारी व गरीबी की समस्याओं से आहत है। घर बड़ा है परन्तु घर की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आय कम है, जिसके कारण वह गरीब, और गरीब हो रहा है। उसके ऊपर से पेट्रोल व डीजल की कीमतों के बढ़ने से उसके कन्धे पर एक बोझ और बढ़ गया है, जिसके कारण यात्रा करना भी उसके लिए महंगा पड़ता जा रहा है।

मध्यमवर्गीय लोगों को अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए दिन-प्रतिदिन बसों में यात्रा करने के लिए जाना पड़ता है। यह उसके जीवन का अभिन्न अंग है। सुबह-सुबह बसों में धक्के खाते हुए अपने गंतव्य में पहुँचना, उनके लिए तलवार की धार पर चलने के समान है। पहले तो बस में इतनी भीड़-भाड़ होती है कि जाना कहीं और होता है पर बस में अधिक भीड़ के कारण पहुँच कहीं और जाता है।

उसकी इतनी आय नहीं होती कि वह इन सबसे छुटकारा पाने के लिए ऑटो या टैक्सी ले सके। महीने में एक-दो बार वह ऑटो या टैक्सी कर भी लेता है परन्तु रोज़-रोज़ ऐसा करना उसके लिए सम्भव नहीं होता। नतीजा कार्यालय में समय पर न पहुँच पाना।

आज प्रतियोगिता के इस दौर में कंपनियों ने ऐसे वाहनों को बाज़ार में उतारा है, जो मध्यवर्गीय लोगों की पहुँच तक हैं। मध्यवर्गीय व्यक्ति इधर-उधर से करके वाहन को अपनी सुविधा के लिए खरीद लेता है। वह ऐसा करके आने-जाने में आनी वाली समस्या से छुटकारा पाना चाहता है। परन्तु पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है।

दो वर्षों में जितनी तेज़ी से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, उतनी वृद्धि किसी क्षेत्र में देखने को नहीं मिली है। तेल कंपनियाँ अपने घटे का हवाला देकर बार-बार तेल की कीमतों में वृद्धि करने की माँग करती हैं और सरकार उनकी माँगों के आगे झुककर तेल की कीमतों में वृद्धि कर भी देती है। ये दोनों यह भूल जाते हैं कि इसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है। उन्हें अपनी परेशानियाँ नज़र आती हैं परन्तु आम आदमी को अनदेखा कर दिया जाता है।

जिस समस्या से राहत पाने के लिए आम आदमी ने वाहन खरीदा था, अब उससे बड़ी समस्या सामने खड़ी है कि गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रोज़-रोज़ पैसे कहाँ से लाएँ। आय के जो अन्य साधन उसके पास थे, उनसे भी उसका कार्य नहीं चल पाता। यदि वह बसों की भीड़-भाड़ में जाता है, तो उसकी कार्य प्रणाली पर इसका बुरा असर पड़ता है। रोज़ देर से पहुँचने के कारण समय पर कार्य न खत्म करने से नौकरी जाने का खतरा बना रहता है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है, तो उसके महीने के खर्च पर असर पड़ता है।

ऐसा करने से उसके घर की आर्थिक स्थिति चरमरा सकती है। इन दोनों स्थिति में वह स्वयं को फंसा हुआ पाता है। पेट्रोल में बार-बार हो रही वृद्धि उसकी सभी कोशिशों को नष्ट कर देती है। उसके लिए तो स्थिति न निगलने जैसी होती और न उगलने जैसी होती है। वह कभी तनाव रहित जीवन नहीं बिता पाता। पेट्रोल की बढ़ती महँगाई ने उसकी मुसीबतों में इज़ाफा ही किया है, जिससे उभरने की वह जी-तोड़ कोशिश करता है पर उस दलदल में धँसता ही चला जाता है।

सरकार को चाहिए कि पेट्रोल में लगातार हो रही वृद्धि पर लगाम लगाए। सरकार का कार्य है देश के हित के लिए सोचे परन्तु ऐसा करके वह मात्र तेल कंपनियों के लाभ का सोचती है और दूसरे को भगवान भरोसे छोड़ देती है। यदि जल्दी से तेल की कीमतों में लगाम नहीं कसी गई, तो आम आदमी के लिए जीवन दुर्भर हो जाएगा।

गाँव और शहर की समस्याएँ

भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। ये हमारे राष्ट्र की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। गाँव हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं। परन्तु जिस तरह की जीवन शैली चल रही है, उसने हमारे जीवन को दो भागों में बाँट दिया है और वह है—शहर और गाँव। आज हर देश इन दोनों रूपों में बाँटा हुआ है। जहाँ गाँव का नाम आते ही खेत-खलिहान, तालाब, शुद्ध वायु व पक्षियों का मीठा कलरव दृष्टि पटल पर आने लगते हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के बारे में स्मरण करते ही ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें, सड़कों पर चलती अनगिनत गाड़ियाँ, सड़कों के कोने पर बनी दुकानें, खूबसूरत पार्क, सिनेमाहाल याद आने लगते हैं।

समय के साथ हो रहे बदलावों ने गाँव को गाँव नहीं रहने दिया है, आज के समय में गाँवों का स्वरूप बदल रहा है। वे अपनी पुरानी व्यवस्था व सौंदर्य से दूर जा चुके हैं। ग्रामीण लोग गाँवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट से पता चलता है कि शहरों की आबादी गाँवों की तुलना में

ज़्यादा हो रही है। भारत में इस स्थिति को आने में तकरीबन 20-22 साल और लगेंगे। ऐसा होने के पीछे विशेष कारण है। शहरों और गाँवों की अपनी अलग-अलग समस्याएँ हैं। शहरों की समस्याओं को सुलझा लिया जाता है और गाँव की समस्याओं का हल निकलने में सालों-साल का समय लग जाता है।

शहरों में उद्योग और व्यापार की संभावनाएँ आसानी से मिल जाने के कारण गाँव के लोग शहरों में पलायन करने को मजबूर हैं। शहर में आसानी से जीवनयापन के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। पूरे साल खेतों में कठिन श्रम कर सूखे व बाढ़ के कारण सब बर्बाद हो जाना व कुछ हाथ न लगाना; गाँव की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के कारण दिन-प्रतिदिन लोग गाँवों को छोड़कर जा रहे हैं।

शहरों में शिक्षा, मनोरंजन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की मौजूदगी भी लोगों के पलायन का कारण रही है। व्यक्ति कितना भी गाँव में रहने का इच्छुक हो पर ऊँची शिक्षा व गंभीर बीमारी की स्थिति में गाँवों को छोड़कर उसे शहर जाना पड़ता है। गाँव में जातिगत भेदभाव सबसे गंभीर समस्या है। आज़ादी के 62 साल पूरे होने के बावजूद भी गाँव में छूआछूत, जातिवाद, तिरस्कार तथा सामंती तकलीफों से तंग आकर गाँवों वालों को शहरों में शरण लेना पड़ता है। बच्चों को उचित शिक्षा न मिल पाना, निर्धनता व बेरोज़गारी ने भी उनके जीवन को नरक बना दिया है। थक-हारकर वे गाँवों से पलायन कर जाते हैं।

इसके विपरीत शहरों की जो समस्याएँ हैं, वे गाँवों से भिन्न हैं। परन्तु कहीं-न-कहीं आपस में जुड़ी हुई भी हैं। गाँवों से शहरों में लोगों के पलायन ने शहरों की आबादी और अर्थव्यवस्था दोनों पर बुरा प्रभाव डाला है। लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की तरफ रूख करना शहरों में बेरोज़गारी को बढ़ा रहा है, जिसके कारण शहरों में आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है।

अधिक आबादी से बिजली व पानी की सुविधाओं में भी कमी आई है। आवासीय व्यवस्था, रोज़गार, अस्पताल और शिक्षा संस्थाओं पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। लोगों में इस कारण आक्रोश बढ़ रहा है। मोटर-गड़ियों और औद्योगिक कारखानों के कारण पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे शहरों में बीमारियों की दर में भी बढ़ोतरी हुई है। मंहगाई ने शहरों को अपना अधिक शिकार बनाया है। यहाँ का व्यक्ति अन्य राज्यों से आए खाद्य पदार्थों और घरेलू वस्तुओं पर निर्भर रहता है।

उनकी कमी यहाँ तुरंत ही मंहगाई के स्तर को बढ़ा देती है। हारकर लोगों को अधिक कीमतों पर भी इन्हें खरीदना पड़ता है। शहरों की जीवनशैली गाँवों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ का आदमी पैसा कमाने में इतना व्यस्त होता जा रहा है कि वह स्वयं के स्वार्थहित के कारण दया, माया, करुणा, ममता से दूर हो गया है। दूसरों को पीछे छोड़ने की होड़ और अन्य समस्याओं ने उसको असंतुष्ट व क्रोधी बना दिया है।

एक देश शहर व गाँव से मिलकर बनता है। सरकार को चाहिए ऐसी कारगर योजनाएँ बनाई जाएँ, जिससे शहरों को इस लायक बनाया जा सके कि वह आबादी के बोझ व उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से सरलतापूर्वक निपट सके। दूसरी ओर गाँवों का इस तरह विकास किया जाए कि वहाँ से आबादी स्थानांतरण को जल्द ही रोका जाए, नहीं तो उसकी रफ्तार को धीमा अवश्य किया जाए सके। हमारे गाँवों के सही विकास से वे शहरों से भी अधिक उत्तम व उन्नतिशील बन सकते हैं।

सरकार द्वारा गाँव में ही उच्च-शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ, लघु-उद्योग धंधों को बढ़ावा और प्राकृतिक आपदा आने पर बैंकों द्वारा लोन के रूप में सहायता के अच्छे इंतजाम किए जाने चाहिए। इससे हम शहरों

व गाँवों को समान रूप से अच्छा विकास दे पाएँगे और समस्याओं से मुक्त कर पाएँगे। एक देश की प्रगति के लिए वहाँ के गाँव और शहर का समान विकास होना अत्यन्त आवश्यक है। तभी एक देश उन्नति व विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा।

प्रदूषण एक समस्या अनेक

'पृथ्वी' यह ग्रह हमारा निवासस्थान है। ईश्वर की यह हमें अद्भुत देन है। यदि पृथ्वी नहीं होती, तो हमारा जीवन भी संभव नहीं था। इस पृथ्वी में वे सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं, जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। इसका एक वायुमंडल है, जो मनुष्य के लिए जीवनदायी है। मनुष्य सदियों से यहाँ निवास कर रहा है। आरंभ में वह शिक्षित व बुद्धिमान नहीं था। जैसे-जैसे उसका विकास होता गया, उसने पृथ्वी का दोहन करना आरंभ कर दिया। प्रगति के बढ़ते स्तर और आबादी के बढ़ते कदमों ने सभी सीमाओं को पार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पृथ्वी के वायुमंडल और इस ग्रह को ही विनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया।

मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए वातावरण का शुद्ध होना परमावश्यक होता है। मनुष्य पर्यावरण की उपज होता है। जब से व्यक्ति ने प्रकृति पर विजय पाने का अभियान शुरू किया है तभी से मानव प्रकृति के प्राकृतिक सुखों से भी हाथ धी बैठा है। मानव ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिससे अस्वस्थकारी परिस्थितियाँ जन्म ले रही हैं।

जब पर्यावरण में निहित एक या अधिक तत्वों की मात्रा अपने निश्चित अनुपात से बढ़ जाती है या पर्यावरण में विषैले तत्वों का समावेश हो जाता है, तो पर्यावरण में होने वाले इस घातक परिवर्तन को ही प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। यद्यपि प्रदूषण के विभिन्न रूप हो सकते हैं तथापि इनमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण मुख्य है। दूषित वायु में साँस लेने से व्यक्ति का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, साथ ही लोगों का जीवन-स्तर भी प्रभावित होता है।

वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण आज पूरे संसार में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के नाम पर जो भी कुछ किया है, वह खतरनाक सिद्ध हो रहा है। वाहनों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों (प्लांट्स), उद्योगों इत्यादि से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड में वृद्धि हो रही है।

इन गतिविधियों से कार्बन कार्बन डाईऑक्साइड के साथ-साथ मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही हैं, जिससे इन गैसों का आवरण घना होता जा रहा है। यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते तापमान से ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघल रही है, जो कि महासागरों के जलस्तर को तो बढ़ा ही रहा है साथ में पीने के जल को भी नष्ट कर रहा है।

जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा कटाव भी इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है। जंगल कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी अंधाधुंध कटाई से यह प्राकृतिक नियंत्रक भी नष्ट हो रहे हैं। वायु में बढ़ते प्रदूषण से फेफड़े संबंधी बीमारियाँ भी खड़ी हो रही हैं।

जल सभी प्राणियों के जीने के लिए अनिवार्य है। जब औद्योगिक अनुपयोगी वस्तुएँ जल में मिला दी जाती हैं, तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता। सड़कों और नालियों की सफाई की ओर पर्याप्त ध्यान न देने से भी जल प्रदूषण बढ़ता है। शहरों का सारा गंदा पानी जल की पूर्ति करने वाली नदियों में बहा दिया जाता है, यह भी जल प्रदूषण का बड़ा कारण माना जाता है।

बड़े-बड़े नगरों में ध्वनि प्रदूषण भी गंभीर समस्या बनकर सामने आ रहा है। अनेक प्रकार के वाहन, लाउडस्पीकर और औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के शोर ने प्रदूषण को जन्म दिया है। प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ-सुथरा रखना परमावश्यक है। इस ओर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। बस्ती व नगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निष्कासन के लिए सुदूर स्थान पर समुचित व्यवस्था की जाए।

जो औद्योगिक प्रतिष्ठान शहरों तथा घनी आबादी के बीच है, उन्हें नगरों से दूर स्थानांतरित करने का पूरा प्रबन्ध करे, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे, वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक प्राथमिकता दें, जिससे प्रदूषण युक्त वातावरण का निर्माण हो सके। इसके लिए सरकार द्वारा कड़े कानून बनाए जाएँ। तभी हम अपनी अपनी धरती को बचा पाएँगे।

भारतीय किसानों की दयनीय दशा

किसान हर देश का आधार स्तम्भ होते हैं। उन पर ही देश की आर्थिक व्यवस्था टिकी होती है। विश्व का समस्त आनन्द, ऐश्वर्य और वैभव उनके कारण ही हम भोग पाते हैं। एक देश के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसानों पर निर्भर करता है। उनके द्वारा किया गया अथक परिश्रम अन्न के रूप में खेतों में बिखरा पड़ा रहता है। उसके कारण ही सबके घर में चूल्हे जलते हैं। यदि एक किसान अन्न उगाना छोड़ दे, तो ज़्यादातर लोग भूखे मारे जाएँगे।

यदि आप किसान की छवि को देखना चाहते हैं, तो भारतीय किसान को देखिए। भारतीय किसान सेवा, त्याग व परिश्रम की सजीव मूर्ति हैं। उसकी सरलता, शारीरिक दुर्बलता, सादगी एवं गरीबी उसके सात्विक जीवन को प्रकट करती है। वह स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाता है।

वह स्वयं न पहनकर संसार की ज़रूरतों को पूरा करता है। इतना श्रम करने के बाद भी उसका जीवन अनेक प्रकार के अभावों से घिरा रहता है। देश की जनता को अन्न देने वाला किसान ही भूखा सोता है। खेतों की रखवाली में न वह गर्मी देखता है न सर्दी बस खुले में ही सोता है। उसका काम करोड़ों लोगों के लिए अन्न की पैदावार करना है।

भारतीय किसान आज़ादी से पहले भी तकलीफ में जी रहा था और आज भी जी रहा है। उसका सीधापन व सरलता उसे सेठ साहूकारों तथा ज़मींदारों के हाथों की कठपुतली बना देता है। सेठ, साहूकार व ज़मींदार मिलकर इनका खूब शोषण करते हैं। दूसरी तरफ मौसम की मार भी इनकी कमर तोड़ देती है। सूखा या अत्यधिक बारिश इनको साहूकारों, ज़मींदारों व सेठों के आगे अपने खेत व घर-बार बेचने को मजबूर कर देता है।

उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। यदि फसल

अच्छी भी हो जाए, तो उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता। इस तरह वे उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाते। बड़े किसान फिर भी इस स्थिति से बच जाते हैं पर जिनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, वे पिछड़ जाते हैं। इनकी इस दशा के लिए हम काफी हद तक ज़िम्मेदार हैं। लगातार किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं पर हमारे द्वारा इस दिशा में कम ही कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी अशिक्षा भी उनकी उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अशिक्षित किसानों का साहूकार नाजायज़ फायदा उठाते हैं।

अशिक्षा के कारण वह सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए कानून व अधिकारों से अनजान रहते हैं। सरकार द्वारा दी गई सुविधाएँ उन्हें नहीं मिल पाती। उनका लाभ दूसरे लोग ले जाते हैं। वे अशिक्षा व अज्ञानता के कारण इन लोभियों के हाथ की कठपुतली बने फिरते हैं। इनको मूर्ख बनाकर इनकी फसलों के कम दाम दिए जाते हैं, जिससे ये निर्धन और निर्धन बन जाते हैं। यही अशिक्षा व निर्धनता इनके पिछड़ेपन का कारण है।

आज़ादी के बाद सरकार के द्वारा किसानों के विकास व उन्नति के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सरकार द्वारा किसानों को कर्ज देने के लिए सहकारी बैंक खोले गए हैं, जो उन्हें कम ब्याज दर में पैसा उपलब्ध कराते हैं। उनकी फसलों के उचित दाम उनको प्राप्त हो इसके लिए भी सरकार ने अपनी भूमिका दिखाई है। इस तरह से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और वो निर्धनता से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम प्रशंसा के योग्य हैं परन्तु अब भी उनकी दशा में कोई खास सुधार हुआ है, यह कह नहीं सकते। आज भी किसान दुःखी हैं। हमारे विचार से सरकार को चाहिए हर गाँव व कस्बों में किसानों के लिए व उनके बच्चों के लिए विद्यालय खोले, जिससे उनमें शिक्षा का प्रसार किया जा सके।

ऐसा करने से अन्य कोई भी उनका शोषण नहीं कर पाएगा। आज़ादी के बाद कहा गया था कि ज़मींदारी प्रथा साहूकार व सेठों जैसों का उन्मूलन हो गया है परन्तु यह कथन मात्र कहने के लिए है।

सरकार को इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। ये साहूकार ब्याज के नाम पर इन किसानों का खून तक चूस लेते हैं। सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, वे काफी नहीं हैं। आज भी ब्याज पर पैसा लेकर अपने खेतों से हाथ धो बैठना आम बात है। सरकार को चाहिए इस दिशा में सख्ती से कदम उठाएँ।

सहकारी बैंकों, डाकघरों, स्वास्थ्य चिकित्सालयों, पशु चिकित्सालयों आदि का प्रबन्ध हर कस्बे व हर गाँव में हो। किसानों को उत्तम बीज सही दाम पर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक गाँव व कस्बे में सहकारी दुकानें खोली जाएँ। खेती करने के लिए पर्याप्त साधन व उन्हें पर्याप्त मदद उपलब्ध कराई जाए।

तभी उनकी हालत में सुधार संभव हो सकेगा। एक किसान दैवीय गुणों से युक्त होता है। वह परिश्रम, त्याग और सेवा का आदर्श रूप है। वही धरती का सच्चा उपासक है।

वह पूरे देश का अन्नदाता है। वह हमारे समाज का सच्चा हितैषी है। यदि वह सुखी है, तो पूरा देश सुखी बन सकता है क्योंकि उसकी खुशहाली उन्नति व समृद्धि में पूरे देश की समृद्धि, उन्नति, खुशहाली छुपी है। वो हर देश का गौरव है, हमारा गौरव है। हमें उसकी इस सेवा के लिए उसे नमन करना चाहिए।

भ्रष्टाचार

आज के आधुनिक युग में व्यक्ति का जीवन अपने स्वार्थ तक सीमित होकर रह गया है। प्रत्येक कार्य के पीछे उसका कोई न कोई स्वार्थ प्रमुख निहित होता है। समाज में अनैतिकता, अराजकता और स्वार्थ से युक्त भावनाओं का बोलबाला हो गया है। परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति और उसका पवित्र तथा नैतिक स्वरूप धुँधला-सा हो गया है। इसका एक कारण समाज में फैल रहा भ्रष्टाचार भी है।

भ्रष्टाचार के इस विकराल रूप को धारण करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इस अर्थप्रधान युग में प्रत्येक व्यक्ति धन प्राप्त करने में लगा हुआ है। कमरतोड़ महंगाई भी इसका एक प्रमुख कारण है। मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ जाने के कारण वह उन्हें पूरा करने के लिए मनचाहे तरीकों को अपना रहा है।

भ्रष्टाचार धीरे-धीरे समाज को बीमार बना रहा है। लोग धन कमाने के लालच में रिश्वत देने जैसे अपराध को करते हैं। समाज में अशांति और अनाचार बढ़ रहा है, जो लोग रिश्वत नहीं दे पाते उनके अंदर अक्रोश पैदा हो जाता है, इससे समाज में अशांति बढ़ जाती है और वह भी एक दिन इसी अनाचार में शामिल हो जाते हैं। देश के सम्मान को इससे धक्का पहुँचता है। भारत का नाम आज भ्रष्टाचार की पंक्ति में 85वाँ स्थान है, जो कि हमारे लिए अपमानजनक बात है।

इन आंकड़ों से पता चला है कि भारत में इसका व्यापक स्तर पर फैलाव हो रहा है। किसी भी क्षेत्र में चले जाएँ भ्रष्टाचार का फैलाव दिखाई दे जाता है। भारत के सरकारी व गैर-सरकारी विभाग इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण हैं। आप यहाँ से अपना कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं, बिना रिश्वत खिलाए काम करवाना संभव नहीं है। मंत्री से लेकर संतरी तक को आपको अपनी फाइल बढ़वाने के लिए पैसे का उपहार चढ़ाना ही पड़ेगा। स्कूल व कॉलेज भी इस भ्रष्टाचार से अछूते नहीं हैं।

बस इनके तरीके दूसरे हैं। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए तो शिक्षा सरकारी स्कूलों व छोटे कॉलेजों तक सीमित होकर रह गई है। नामी स्कूलों में दाखिला कराना हो, तो डोनेशन के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है। बैंक जो कि हर देश की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ हैं, वे भी भ्रष्टाचार के इस रोग से पीड़ित हैं।

आप किसी प्रकार के लोन के लिए आवेदन करें पर बिना किसी परेशानी के फाइल निकल जाए, यह तो संभव नहीं हो सकता। देश की आंतरिक सुरक्षा का भार हमारे पुलिस विभाग पर होता है परन्तु आए दिन यह समाचार आते-रहते हैं कि आमुक पुलिस अफसर ने रिश्वत लेकर एक गुनाहगार को छोड़ दिया। भारत को यह भ्रष्टाचार खोखला बना रहा है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सबको हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। लोग इसी स्वतंत्रता का और हमारे देश के लचीले कानूनों का लाभ उठा रहे हैं। लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है। परन्तु आज ये कुछ लोगों का तंत्र बनकर रह गया है। देश के सभी तंत्र इनके हाथों की कटपुतली बनकर रह गए हैं।

इन्हें प्रसन्न करने के लिए अच्छी और महंगी-से-महंगी भेंट चढ़िए आपका कार्य मिनटों में हो जाएगा। ये कार्य देश और लोगों के हित में हो या नहीं इन्हें कोई सरोकार नहीं है। बस अपनी जेबें भरने से मतलब है और इसी कारण भ्रष्टाचार रूकने के नाम पर बढ़ता जा रहा है। हमें हमारे समाज में फन फैला रहे इस

विकराल नाग को मारना होगा। सबसे पहले आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के मनोबल को ऊँचा उठाना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने को इस भ्रष्टाचार से बाहर निकालना होगा। यही नहीं शिक्षा में कुछ ऐसा अनिवार्य अंश जोड़ा जाए, जिससे हमारी नई पीढ़ी प्राचीन संस्कृति तथा नैतिक प्रतिमानों को संस्कार स्वरूप लेकर विकसित हो।

चुनावों में ईमानदार प्रतिनिधियों का चुनाव करना होगा। न्यायिक व्यवस्था को कठोर बनाना होगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध नए और कारगर कानून बनाने पड़ेंगे तथा सामान्य जन को आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध करवानी होंगी। इसी आधार पर आगे बढ़ना होगा तभी इस स्थिति में कुछ सुधार की अपेक्षा की जा सकती है और भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकेगा।

कबीरदास

'संत कबीरदास' जी भक्तिकाल के ज्ञानमार्गी शाखा के मुख्य कवियों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म काशी में 1398 ई. में हुआ था। इनके जन्म के विषय में यह धारणा है कि इनकी माता एक ब्राह्मण परिवार से थीं व विधवा थीं। एक बार एक साधु के द्वारा दिए गए संतान के वरदान के प्रभाव से उनका गर्भधारण हो गया। लोक-लाज की निंदा के भय से ब्राह्मण स्त्री ने जन्मे बच्चे को 'लहरतारा' नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। उसी समय वहाँ से एक मुस्लिम दंपति 'नीमा' व 'नीरू' गुज़र रहे थे।

वे निसंतान थे। इस दंपति ने बच्चे को अल्लाह का आशीर्वाद मान अपना लिया। दोनों ने बच्चे का बड़े जतन से लालन-पालन किया। बड़े होकर ये 'कबीर' के नाम से विख्यात हुए। कबीरदास ने आगे चलकर पिता के व्यवसाय को अपनाया। कबीर का विवाह 'लोई' नामक स्त्री से हुआ और उनसे उनके दो संतानें हुईं। पुत्र का नाम 'कमाल' तथा पुत्री का नाम 'कमाली' रखा गया।

कबीरदास ने सारी उम्र 'राम' नाम का भजन किया। कबीरदास के राम नाम को अपनाने के पीछे एक रोचक घटना है। कहा जाता है, एक बार कबीर पंचगंगा घाट पर सीढ़ियों पर से गिर पड़े। उसी समय वहाँ से स्वामी रामानंद गंगा स्नान के लिए सीढ़ियों पर से जा रहे थे। अंधेरे में अचानक किसी के पैरों के नीचे आ जाने से उनके मुँह से राम-राम शब्द निकल गया।

कबीर जी ने इसी मंत्र को गुरु का दीक्षा-मंत्र मानकर उसे अंगीकार कर लिया और स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। वह सारी उम्र राम नाम को ही भजते रहे। परन्तु कबीर के यह राम, श्री राम से अलग थे। कबीर के अनुसार उनके राम मनुष्य रूप में न होकर धरती के हर कण-कण में विद्यमान हैं। वह निर्गुण-निराकार हैं।

कबीरदास सारी उम्र भगवान का भजन करते रहे। उन्होंने धार्मिक आडंबरों; जैसे- व्रत, रोजे, पूजा, हवन, नमाज आदि का भरसक विरोध किया। उनके अनुसार ईश्वर इन पांखड़ों से प्राप्त नहीं होता। वह तो सच्ची भक्ति तथा मन की पवित्रता से प्राप्त होता है। उनके अनुसार ईश्वर को प्राप्त करना हो, तो मंदिर व मस्जिद में न ढूँढकर अपने हृदय में ढूँढना चाहिए। उनके अनुसार गुरु ईश्वर प्राप्ति का रास्ता होता है। उसके माध्यम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। उन्होंने सदैव हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बल दिया व आपसी बैर को भुलाकर प्रेम से रहने का उपदेश दिया। उन्होंने जाति-पाति के नाम पर होने वाले भेदभाव का भी कड़ा

विरोध किया। कबीरदास जी अनपढ़ थे परन्तु उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों व नीतिपूर्ण बातों को लेखन का जामा पहनाया।

कबीरदास की भाषा साधारण जन की भाषा थी। उनकी भाषा को 'सधुक्कड़ी' व 'पंचमेल खिचड़ी' कहा जाता है। उनकी भाषा में ब्रज, पूर्वी हिन्दी, पंजाबी, अवधी व राजस्थानी भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। कबीर ने अपनी बात 'सबद' व 'साखी' शैली में कही है। कबीर की एकमात्र रचना 'बीजक' के रूप में मिलती है। इसके तीन अंग हैं- साखी, सबद व रमैनी।

कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ई. के करीब मगहर में मानी जाती है। हिन्दू धर्म में मान्यता थी कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है, वह नरक में जाता है। अतः कबीरदास जी ने अंत समय में वहीं जाकर रहने का निर्णय किया और वहीं अपने प्राण त्यागे। कबीरदास उन व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने मात्र उपदेश नहीं दिया अपितु उसे जीवन में उतार कर समाज के समाने मिसाल कायम की।

तुलसीदास

तुलसीदास का जन्म संवत् 1553 में अयोध्या के गोंडा जिले के 'राजापुर गाँव' (जिसे आज बाँदा जिले के नाम से जाना जाता है) में हुआ था। इनके पिता का नाम 'आत्माराम दूबे' व माता का नाम 'हुलसी' था। आत्माराम दूबे सरयूपारीण ब्राह्मण थे। बारह महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद तुलसीदास का जन्म हुआ। पैदा होते ही इनके मुँह में दो दाँत थे तथा अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता-पिता ने इनका त्याग कर दिया। साथ ही इन्हें अपनी एक दासी को सौंप दिया। कुछ समय तक इनका पालन-पोषण इनकी दासी द्वारा ही किया गया।

आगे चलकर इनकी शिक्षा-दीक्षा का भार इनके गुरु 'श्री नरहरि' ने लिया। कुछ समय पश्चात काशी में रहकर शेष सनातन जी की छाया में रहते हुए इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा ली। तदुपश्चात सनातन जी की आज्ञा ले इन्होंने 'रत्नावली' नाम की कन्या के साथ विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कहा जाता है, इनकी पत्नी अत्यंत रूपवती स्त्री थी। ये अपनी पत्नी पर बड़े आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। आँधी-तुफ़ान वाली रात में ही ये उनके पीछे ससुराल जा पहुँचे। पति को आधी रात में आया हुआ देखकर उनकी पत्नी को उन पर बहुत क्रोध आया। अन्यास ही उनके मुख से एक दोहा निकल गया-

अस्थि चरम मय देह मम, तामे ऐसी प्रीति।

वैसी जो श्रीराम महँ, होती न भवभीति।।

अर्थात् जितना प्रेम आपको मेरे इस तन से है यदि इतना प्रेम आपको श्रीराम से होता, तो वे आपको मिल गए होते। पत्नी के इस प्रकार के वचन सुनकर तुलसीदास सदा के लिए श्रीराम के चरणों में समर्पित हो गए। इनकी मृत्यु संवत् 1623 में काशी में हुई थी।

तुलसीदास को 'संस्कृत', 'अवधी' और 'ब्रज' तीनों भाषाओं में समान अधिकार प्राप्त था। इन्हें जितना अच्छा संस्कृत का ज्ञान था, उतना अच्छा ज्ञान अवधी और ब्रज भाषा में भी था। तुलसीदास 'रामचरितमानस' की रचना संस्कृत में करना चाहते थे। कहा जाता है कि आरम्भ में इन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में

ही की थी। पूरे दिन यह श्लोकों की रचना करते परन्तु वे रात में गायब हो जाते थे। तदपश्चात् भगवान शंकर की प्रेरणा से इन्होंने जनभाषा अवधी में रामचरितमानस की रचना की। कहा जाता है, भगवान शंकर और भगवान राम की इन पर अपार कृपा थी। तुलसीदास की रचनाएँ इस प्रकार हैं—रामललानहछू, वैराग्यसंदीपनी, रामाज्ञाप्रश्न, रामचरितमानस, सतसई, जानकी-मंगल, विनय-पत्रिका, पार्वती-मंगल, गीतावली, बरवै, रामायण, कृष्ण-गीतावली, कवितावली और दोहावली। 'रामचरितमानस' इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना थी। तुलसीदास ने लोगों के हृदयों में भक्ति का अलख जगाया। इन्होंने रामचरितमानस के रूप में हमें ऐसी अमर कृति भेंट की है, जो युगों-युगों तक मनुष्य का मार्गदर्शन कर उन्हें सुख प्रदान करेगी।

महादेवी वर्मा

महादेवी वर्मा हिन्दी साहित्य के छायावाद के चार आधार स्तंभों में से एक हैं। महादेवी का जन्म फ़रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 23 मार्च 1907 में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी को अपने परिवार से बहुत प्रेम मिला क्योंकि इनके परिवार में कई पीढ़ियों के बाद किसी कन्या का जन्म हुआ था। कहा जाता है, महादेवी जी के यहाँ कई पीढ़ियों तक किसी कन्या को जन्म नहीं लेने दिया जाता था। इनके पिता देवी के बहुत बड़े भक्त थे।

अतः उन्होंने इन्हें देवी का वरदान मानते हुए, इनका नाम महादेवी रख दिया। इनकी माता जी धर्मपरायण स्त्री थीं। महादेवी पर अपनी माता का गहरा असर दिखता है। बाल्यावस्था में ही इनका विवाह बरेली के पास स्थित नबाव गंज कस्बे के रहने वाले श्री स्वरूप नारायण वर्मा से सन 1916 में हुआ था। महादेवी का विवाह अवश्य हुआ था परन्तु वह सदैव साधवी का जीवनयापन करती रहीं।

इनके पिता ने आरंभ में इनकी पढ़ाई की व्यवस्था घर पर ही करवा दी थी। यहाँ इन्होंने संस्कृत, उर्दू और फ़ारसी भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया। इंदौर के मिशन स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा आरंभ की। महादेवी बाल्यावस्था से ही बहुत विदुषी थीं। कुछ समय पश्चात् इनका दाखिला क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद में हुआ। वह यहाँ के छात्रावास में रहने लगीं।

यहाँ इनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई, जो स्वयं एक अच्छी कवियत्री थीं। वह इनसे उम्र में बड़ी थीं। महादेवी ने बहुत छोटी-सी उम्र से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। दसवीं कक्षा तक महादेवी को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थीं। इन्होंने संस्कृत विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.ए. किया था।

महादेवी ने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। महादेवी ने लेखन, अध्यापन, चित्रकला और संपादन चारों को अपने कार्यक्षेत्र के अंदर रखा। वह जितनी दक्ष लेखन में थी, इतनी ही दक्ष संपादन, चित्रकला और अध्यापन में भी थीं। लेखन जैसे इनके रक्त में विद्यमान था। महादेवी को लेखन के लिए अनगिनत पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे भारतीय प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनकी कृतियों के लिए उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिए गए हैं।

महादेवी जी छायावाद के मुख्य कवियों में से एक हैं। छायावाद के काव्य साहित्य में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने लेख, रेखाचित्र, ललित निबंध, संस्मरण, और भूमिकाओं में गद्य का निर्माण किया

है। यह इतने उत्कृष्ट हैं कि आज भी यह पढ़े जाते हैं। इन्होंने ही खड़ी बोली में सुंदर और कोमल शब्दों का प्रयोग कर कविता के स्वरूप को सुंदर बना दिया। ये एकाधिकार ब्रजभाषा को प्राप्त था, जिसे इन्होंने तोड़ दिया।

इनकी साहित्य रचनाएँ इस प्रकार हैं-

कविता संग्रह में इनकी रचनाएँ हैं- रश्मि, प्रथम आयाम, नीहार, दीपशिखा, नीरजा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा, सांध्यगीत, आत्मिका, सन्धिनी, गीतपर्व, स्मारिका, यामा, परिक्रमा, दीपगीत और नीलांबरा मुख्य हैं।

गद्य संग्रह में इनकी रचनाएँ हैं-

पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण इनके संस्मरण हैं। स्मृति की रेखाएँ और अतीत के चलचित्र इनके द्वारा लिखे गए रेखाचित्र हैं। निबंध में विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता लिखे हुए हैं।

महादेवी अपने संपूर्ण जीवनकाल में साधवी के समान रहीं इसलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके सुंदर और सशक्त लेखन ने हमें महत्वपूर्ण और बहुमूल्य साहित्य दिया है, जिसके लिए हम सदैव इनके आभारी रहेंगे। महादेवी ऐसी प्रतिभा थीं, जिनका जन्म भारत में यदा-कदा ही होता है। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में महान व्यक्तित्व की स्वामिनी हमारे बीच से सदा के लिए चली गईं।